

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 288, नई दिल्ली, गुरुवार 18 दिसम्बर 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार
जब तक सांस है, तब तक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है, तब तक उम्मीद है।

सोशल मीडिया से जुड़े
Parivahan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

03 हनुमत साधना - दुर्लभ प्राचीन विचित्र वीर हनुमान यंत्र दर्शन... 06 रामानुजन: वह आदमी जो अनंत को जानता था 08 रांची राजभवन का नाम बिरसा भवन नामित हो: राधाकृष्ण किशोर, संसदीय मंत्री

सड़क हादसों की बढ़ती वजह: अवैध पार्किंग और हाईवे किनारे ढाबे

सुनील कुमार महला
सड़क हादसों एक बहुत बड़ी नाबर्हियत है, जो पार भर में हैसियत-रहितों परियारों को उखाड़ देती है। इनमें किसी प्राने की जान जाना या जीवन भर की आमना-पाना पर परिवार को गन्दे सड़ने में डाल देती है। सड़ने के बाद केवल शारीरिक नुकसान ही नहीं होता, बल्कि मानसिक और आत्मन्यासक पीड़ा भी लम्बे समय तक बनी रहती है। बच्चों का भीयम प्रभावित होता है और बुराई सस्से से बँधता हो जाते हैं। समाज पर भी इसका व्यापक असर पड़ता है, क्योंकि कार्यालय नगरिकों को क्षी से सामाजिक-शारीरिक विकास बाधित होता है। अस्पतालों और श्रावण सेवाओं पर श्रमिरीक्षा ढाब पड़ता है। इन हादसों का सबसे दुःखद पल्लू यह है कि श्रमिरीक्षा दुर्घटनाएँ छोड़े-सी सावधानी और नियमों के पालन से रोकी जा सकती है। इसलिए सड़क सुरक्षा को केवल कानून नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में समझना बेहतर अस्ती है।

डिवाइस से टकराकर संतुलन खो बैठा और इसके बाद पीछे से आ रहे वाहन एक के बाद एक टकराते वगे गए। इससे वाहनों में आग लग गई। जल्दी बँद में जो रहे यात्रियों को तैज श्रावण से आँख खुली तो पीछ-पुकर मर गई और वे जान बचाने के लिए जलते जलते से कूदने लगे। श्रावण है कि सौकीनी वाहन में विस्फोट से आग लगी। टनकरलों ने जब तक श्रावण पर काबू पाया, 14 वाहन जल चुके थे। जन्म श्रावण बरों और एक कर शान्ति है। वे बसे यूँ, बिसर, अरुणागत प्रदेश से दिल्ली आ रहे थीं। स्वयं प्रकाशनी नरेन्द्र मोदी ने इस घटना पर दुःख जताया है। उन्होंने कहा है कि, 'भेरी संवेदनाएँ अन्नो को खोलने वाले परिवारों के साथ हैं।' शोकमय सड़ने-वे के प्रकाशनी रात का मेष से श्रावण मृतक के परिजनों को दो-दो लाख और घायलों को 50 हजार रुपये देने की घोषणा की गई है। वहीं, यूपी के मुख्यमंत्री काशीराम ने भी श्रावणों को दो-दो लाख और घायलों को 50-50 हजार की मदद देने का ऐलान किया है।

सड़क पर तेज सवार से टैडने जाती गाँवों उन्हे समय पर देख नहीं पाती और उनसे टकरा जाती है। इसका गंभीर प्रभाव कुछ समय पहले ही राजस्थान के फतेही में हुआ एक हादसा है, जहाँ सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर से टैडने ट्रैक्टर टकरा गया। मीडिया में कई खबरों के अनुसार इस दुर्घटना में 10 महिलाएँ और 4 बच्चों सहित कुल 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना पर मन्त्रीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और सुनवाई के दौरान एक्स्पर्ट्स यानी कि भारतीय राष्ट्रीय रामानुग प्रतिकरण (नेशनल लवडेन श्रावरीटी ऑफ इंडिया) और प्रामान की कार्यष्णाती पर कड़ी नजरानी जताई। अदालत ने साफ कहा कि राष्ट्रीय रामानुग और एक्स्पर्ट्स-वे के किनारे बने अवैध ढाबे और शेटल सड़क हादसों की बड़ी वजह है और उन्हे रोकने के लिए ट्रैक्टर में लाने सेना नियम बनाने की जरूरत है। वास्तव में, अस्त समस्या यह है कि कई ढाबे और शेटल ताम कमाने के श्रेय से बिना पर्याप्त पार्किंग के ही सड़क किनारे खोल दिए जाते हैं और वह उन्हे वारी ताम मजदूरी में अन्नी गाड़ी सड़क पर खड़ी कर देते हैं, जबकि इन सड़कों पर वाहन बहुत तेज सवार से चलेते हैं। ऐसे में हादसों का खतरा लगातार बना रहता है। सवाल यह है कि ऐसे ढाबों को बिना नियम-कानून के खतरा नही उजागर किसने ही और अब तक सरकार ने इनके प्रिहातक सख्त कार्यवाई क्यों नहीं की? क्या ऐसे ढाबे व शेटल मारिकों के प्रिहातक कार्यवाई नहीं की जानी चाहिए? यह प्रिडिक्शन ही है कि श्रावण लम्परे देा में सड़क किनारे खुलने वाले ढाबे,

रेस्टोरेट और लेट अक्सर बिना किसी ठोस नियम-कानून के संभारित हो रहे हैं। ये जहाँ जगह मिल गई, वहीं बना दिए जाते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होती है। श्रमिरीक्षा ढाबों के सामने वाहनों की अवैध पार्किंग रहती है, या बहुत से स्थानों पर तो पार्किंग व्यवस्थाएँ होती ही नहीं हैं, ऐसे में वाहनों को सत-तम अव्यवस्थित रूप से पार्क करना पड़ता है, जो सड़क हादसों का कारण बनती है। वास्तव में ऐसे जगहों पर न तो यहाँ सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था होती है और न ही प्रवेश-निकास के लिए निर्धारित स्थान। कई जगहों पर तो पीने के पानी और शोपलायन जैसे बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव देखने को मिलता है। इससे यात्रियों को, वाहन वाहकों को परेशानी होती है और श्रावण समेत मंत्री भी फँसती है। यह एक कठना सव है कि खयस्ता और सुरक्षा मानकों की खुलेपान अवैधता की जाती है। अस्तव है कि ऐसे ढाबों और शेटलों के लिए सख्त नियम बनार जाँ और उनका सख्ती से पालन कराया जा।

सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन की जिम्मेदारी पूरे समाज की है:- बहरसत, यहाँ सब भी कहना जरात नहीं होगा कि लम्परे देा में दिसंबर-जनवरी उँडे के महीने लेते हैं और इस दौरान देा के कई रिसॉर्टों, विश्वकय पानी वाले इलाकों में घना कोश व घुंस छा जाती है, जिससे सड़क पर दूधवा बेट करन ले जाती है। ऐसे सलात में वाहन चाराते सगम विशेष सावधानी बरतना अतिवारी है। नोबलस फोन का प्रयोग बिकुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ध्यान

मकतता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ता है। श्रावण या किसी भी प्रकार के नो में वाहन चालना ज़ानलेवा साबित से सकता है। यदि नीड या वकान कसूस ले री से तो वाहन रोकरक प्रिहात कचना ही सुविधा विकल्प है। इसके साथ ही यातायात नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए, नीड सीमित रखनी चाहिए और सीड बेट अवस्य तजानी चाहिए, क्योंकि यह दुर्घटना की प्रिहात में जान बचाने में अन्न भूमिका निभाती है। वास्तव में, सावधानी और जिम्मेदारी ही उँड व कोरेरे के नोसम में सुरीयत वाजा की कुंजी है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर लम्परे पूरे समाज की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। श्रमिरीक्षा सड़क हादसों तेज नाति, नसे में इन्डरिमेन, नोबलस फोन के प्रयोग और यातायात के नियमों की अवैधता के कारण होते हैं। इन्डरिमेन, सीड बेट, तेज इन्डरिमेन और ट्रैफिक संकेतों का पालन करने से दुर्घटनाओं में गारी कमी ताई जा सकती है। सड़कों की खराब प्रिहात, अव्यवस्थित पार्किंग और श्रमिरीक्षा मी सडसों को बढ़ावा देते हैं। सरकार, प्रामान और मारिकों सनी को निराकर सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी, सख्त कानून, सख्त कानून और अन्ना इन्सानदार किन्यासकन बेट अव्यवकरी है। सुरीयत सड़के केवल नियमों से नहीं, बल्कि जिम्मेदार व्यवहार से बनती है। यदि समय रते सावधानी बरती जा, तो अन्नीत नान बचाई जा सकती है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी दिल्ली में ई वाहन खरीदने वालों को घोषित सब्सिडी क्यों नहीं मिल रही ?

संजय बाटला
दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर प्रोत्साहन राशि (सब्सिडी) की घोषणा की गई है पर ई वाहन खास तौर से ई रिक्शा, ई लोडर और दो पहिया वाहन खरीदने वालों की शिकायत प्राप्त हो रही है की उनको कई सालों से बार बार चक्कर लगाने के बाद भी ना तो घोषित प्रोत्साहन राशि (सब्सिडी) मिली और ना ही कोई सही जवाब।



दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर प्रोत्साहन राशि (सब्सिडी) की घोषणा की गई है पर ई वाहन खास तौर से ई रिक्शा, ई लोडर और दो पहिया वाहन खरीदने वालों की शिकायत प्राप्त हो रही है की उनको कई सालों से बार बार चक्कर लगाने के बाद भी ना तो घोषित प्रोत्साहन राशि (सब्सिडी) मिली और ना ही कोई सही जवाब।

दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर प्रोत्साहन राशि (सब्सिडी) की घोषणा की गई है पर ई वाहन खास तौर से ई रिक्शा, ई लोडर और दो पहिया वाहन खरीदने वालों की शिकायत प्राप्त हो रही है की उनको कई सालों से बार बार चक्कर लगाने के बाद भी ना तो घोषित प्रोत्साहन राशि (सब्सिडी) मिली और ना ही कोई सही जवाब।



* ई वाहन बेचने वाले डीलर जो परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत हैं ने पोर्टल पर अपने द्वारा बेचे हुए ई वाहन की प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन करना था तो उसके द्वारा नहीं किए जाने का जिम्मेदार ई वाहन मालिक कैसे, बड़ा सवाल ?
* अगर ई वाहन डीलर द्वारा ई वाहन बेचा गया और उसने उसका पंजीकरण करवाकर ई वाहन खरीदने वाले को दिया तब पंजीकरण के साथ ही प्रोत्साहन राशि (सब्सिडी) के लिए आवेदन नहीं करने वाले डीलरों के खिलाफ परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की गई, बड़ा सवाल ?
* डीलरों का ई वाहन खरीदने वाले मालिकों को कहना है की दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि (सब्सिडी) आवेदन पोर्टल ही बंद कर रखा है तो हम उस पर कैसे आवेदन भेजे, बड़ा सवाल ?
* क्या दिल्ली परिवहन विभाग

जानबुझ कर प्रोत्साहन राशि (सब्सिडी) नहीं दे रहा और जनता को प्रोत्साहन राशि (सब्सिडी) का झूठा प्रचार करके ई वाहनों को खरीदवा रहा है सबसे मुख्य और बड़ा सवाल ?
दिल्ली परिवहन विभाग को दिल्ली में ई वाहन खरीदने वाले मालिकों को तत्काल प्रभाव से घोषित प्रोत्साहन राशि (सब्सिडी) देनी चाहिए या फिर यह बताना चाहिए की किस आधार पर घोषित प्रोत्साहन राशि उन्हें नहीं दी जाएगी।
आपकी जानकारी हेतु कुछ विशेष
दिल्ली में ई-रिक्शा, ई-लोडर और दोपहिया EV खरीदारों को घोषित सब्सिडी मुख्यतः प्रशासनिक देरी, पोर्टल बंद/असक्रिय रहने, बजट-स्वीकृत की दिक्कत और नीति के बीच में "लैप्स" हो जाने के कारण समय पर

दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 सितंबर 2025 को आदेश देकर कहा कि सरकार "प्रोसीजरल अडचनी" का बहाना बनाकर सब्सिडी देने में देरी नहीं कर सकती और तुरंत लंबित सब्सिडी रिलीज करने के लिए कदम उठाए।
"पोर्टल पर आवेदन नहीं मिला" वाला जवाब हाईकोर्ट को दिए बयानों और नीति-दस्तावेजों से साफ है कि EV सब्सिडी के लिए आवेदन करने की जिम्मेदारी मुख्यतः अधिकृत डीलर पर रखी गई, ताकि उपभोक्ता पर तकनीकी बोझ न पड़े; पोर्टल पर एंटी डीलर आईडी से होती है।
ऐसी स्थिति में अगर विभाग यह कह रहा है कि "आपके वाहन नंबर के लिए कोई आवेदन नहीं मिला", तो दो संभावनाएँ हैं: (1) डीलर ने समय पर आवेदन ही नहीं किया या गलत तरीके से किया, या (2) पोर्टल/डेटाबेस में गड़बड़ी रही और एंटी डीएस नहीं हो रही।



डाइवर के साथ मारपीट प्रकरण: संगठन की एकजुटता और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई से मिला न्याय



परिवहन विशेष न्यूज
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन क्षेत्र में एक डाइवर के साथ ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा की गई मारपीट की घटना ने न केवल डाइवर समाज को आहत किया, बल्कि पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही और संवेदनशीलता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े किए। यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि यह घटना किसी "आम व्यक्ति" के साथ नहीं, बल्कि ड्यूटी पर कार्यरत एक डाइवर के साथ हुई, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
राष्ट्रीय डाइवर संयुक्त मोर्चा समिति द्वारा लगातार पत्राचार, तथ्यों और साक्ष्यों के साथ मामला उठाए जाने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने त्वरित, निष्पक्ष और निर्णायक हस्तक्षेप किया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी ट्रैफिक पुलिस

कोस्टेबल को विभाग द्वारा निलंबित (Suspended) किया गया। साथ ही संगठन को पूरे प्रकरण की संपूर्ण और स्पष्ट जानकारी भी उपलब्ध कराई गई।
समिति यह स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि इस प्रकरण में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के उच्च अधिकारियों की भूमिका जिम्मेदार और सराहनीय रही, जिससे यह संदेश गया कि बर्दी में अनुशासन और कानून सर्वोपरि है।
हालांकि, यह भी तथ्य सामने आया कि प्रारंभिक स्तर पर पहाड़गंज थाना SHO द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं किया गया, बल्कि आरोपी कर्मों को बनाने और मामले को हल्के में लेने का प्रयास दिखाई दिया। वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद ही दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और आवश्यक कार्रवाई संभव हो सकी। समिति की मांग है कि

ऐसे मामलों में स्थानीय स्तर की भूमिका की भी समीक्षा हो, ताकि भविष्य में किसी पीड़ित डाइवर को न्याय के लिए संघर्ष न करना पड़े।
यह प्रकरण एक स्पष्ट संदेश देता है कि > संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। एकजुट रहकर, तथ्य और सच्चाई के साथ खड़े होकर, किसी भी बड़े से बड़े अन्याय के विरुद्ध परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।
राष्ट्रीय डाइवर संयुक्त मोर्चा समिति यह दोहराती है कि वह कानून और संविधान में पूर्ण विश्वास रखती है, परंतु डाइवरों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।
जागरूकता: राष्ट्रीय डाइवर संयुक्त मोर्चा समिति

टैपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेल्फेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com | tolwadelhi@gmail.com



आज का साइबर सुरक्षा विचार फ्रिंशिंग SMS सिडिकेट कैसे काम करता है ?

- * बैंक, FASTag, कूरियर, बिजली बिल और सरकारी पोर्टल जैसे दिखने वाले पी टैगट डैशबोर्ड
- * दुर्भाग्यपूर्ण लिंक दिखाते के लिए URL शॉर्टनर और समझौता किए गए डोमेन
- * हर पीडिड के लिए अलग, गुश्कल से ब्लॉक लेने वाला डोमेनलिंक लिंक
- * ग्राम दिग्ग संदेश*
- * आपका बैंक खाता ब्लॉक हो जाएगा "
- * "आपका FASTAG KYC लिंक है "
- * "आपका पर्सनल लेट्टर पर है "
- हर संदेश का उद्देश्य था—पीडिड को तुरंत कार्रवाई करने पर मजबूर करना।
- 4. ऑटोमैटेड ब्लॉक नैकेनिज: Fire and Forget Fraud, सर्वर पर चलने वाली संक्रुड:
- * SIM बैंक से SIM खींचती
- * संदेश टैगट डैशबोर्ड पुनर्ती
- * SMS API या GSM मॉडम को ऑटो जगत करती
- * पीक श्रावर्स में ब्लास्ट रैडियल करती
- * अन्नीट टू बैंक श्लात SMS जैसा दिखने के लिए Sender ID बदलती
- नतीजा: लगभग बिना मानव प्रयास के लाखों SMS प्रिडिड।
- 5. ट्रैफिक रीडयरेक्शन: इन्डिरेट जाल, लिंक पर क्लिक करते ही पीडिड पहुंचते थे:
- * बैंक/सरकारी/पैमेंट पोर्टल जैसे दिखने वाली क्लोन वेबसाइटों को जो होस्ट होती थीं:
- 0 अस्वस्थता किए गए सर्वरीड
- 0 कुलेटपूफ रीडिरेज पर
- 0 फ्रास्ट फ्रलाक्स नेटवर्क पर
- ये फ्रिंशिंग पेज तुरंत थे:
- * नोबलस नंबर
- * OTP
- * काई दिवकरण
- * नेट बैंकिंग केंड्रेशियल
- डेटा तुरंत Telegram बॉट्स या टाइटड डैशबोर्ड पर भेज दिया जाता था।
- 6. रिवाल टाइन फ्राड एक्वीक्युशन: "Fraud Desk", केंड्रेशियल लिंक है:
- * एक अर्भायत फ्रांड उँस्क सेकेंडों में खराते में लॉन

Legal Awareness, Know your rights. Respect the law

जगमोहन सिंह
In a क्रिमिनल केस, "Denial" — यानी आरोप से साफ इंकार — is considered the safest defence for any accused person.
Under Indian Law, हर ईंसान innocent माना जाता है जब तक वो दोषी साबित न हो,
and the burden of proof हमेशा prosecution पर होता है — not on the accused,
यानि Complainant / State पर।
हर आरोपी को चुप रहने का अधिकार (Right to Silence) भी प्राप्त है, as guaranteed under Article 20(3) of the Constitution of India.
कानून किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं करता, यानि न पुलिस और न ही कोर्ट किसी को मजबूर कर सकता है कि वह अपना जुर्म कुबूल करे।
Burden of proof हमेशा केस डालने वाले पर होता है, और उसे ही अपना केस साबित



करना पड़ता है।
यहां तक कि सिर्फ पुलिस के पूछने पर ही नहीं, बल्कि कोर्ट के पूछने पर भी आरोपी कह सकता है:
"I choose to remain silent and exercise my legal Right to Silence."
लेकिन अक्सर आरोपी अपने इस legal right से अनजान होते हैं।
Know your rights. Respect the law.

सकता है या फिर अंत में कि अपराध संगीन है।
जुज ही-ही करके ऐसे विरोधों को चुस्कियां लेकर खींकार करते हैं क्योंकि जमानत के पैसे नहीं मिले होते, जबकि उनका वास्तव में विरोध का आधार होने का मतलब ही नहीं होता।
सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कहता रहे, सेशन जजों ने तो सुधारना नहीं है। अपराध संगीत होते हैं तभी तो नॉन-बेलेबल होते हैं वरना तो बेलेबल होते व जमानत की अर्जी लगाने की जरूरत ही न पड़ती। जमानत पर छूटने के बाद साक्ष्य को न मिटा सकते हैं? गवाहों ने मुकदमा होगा तो वे तब भी मुकद जायेंगे जब मुल्जम जेल में है। क्योंकि उसके बाकी समर्थक या गुंडे तो बाहर ही होते हैं।

Bail System जगमोहन सिंह

बेल ओपोज करना एक ट्रेडिशनल इड्यूटी बन चुकी है, जिसके पीछे कोई लॉजिक तो है नहीं, पर प्रशासनिक मनबुरी है। बेल का विरोध न करने को संदेह की नजर से देखा जाता है, इसलिए डर के मारे सब कुछ ना कुछ विरोध दर्ज कराते ही हैं, और पाक साफ बन जाते हैं।
सब जानते हैं कि बेल के विरोध कैसे होते हैं? यही, कि अपराधी ट्रायल जम्प कर जाएगा, अपराधी गवाहों को धमकी देकर गवाही देने से तोड़ मरोड़ सकता है, अपराधी साक्ष्य मिटा

बेल ओपोज करना एक ट्रेडिशनल इड्यूटी बन चुकी है, जिसके पीछे कोई लॉजिक तो है नहीं, पर प्रशासनिक मनबुरी है। बेल का विरोध न करने को संदेह की नजर से देखा जाता है, इसलिए डर के मारे सब कुछ ना कुछ विरोध दर्ज कराते ही हैं, और पाक साफ बन जाते हैं।
सब जानते हैं कि बेल के विरोध कैसे होते हैं? यही, कि अपराधी ट्रायल जम्प कर जाएगा, अपराधी गवाहों को धमकी देकर गवाही देने से तोड़ मरोड़ सकता है, अपराधी साक्ष्य मिटा

यह सब अदालत सिस्टम की कमजोरी है, क्योंकि गवाहों के बयान अदालत दर्ज करना ही नहीं चाहती। जल्दी से बयान दर्ज हो जाएं, तो गवाहों को धमकाने का सवाल ही नहीं रह जाता।
बेल, ज्यूडिशरी की सबसे बड़ी दुकानदार है। इसमें माफिया चलता है पहले मॉजिस्ट्रेट, बेल देने की पावर होने के बावजूद बेल रिजेक्ट करता है, फिर सेशन कोर्ट रिजेक्ट करता है, फिर हाई कोर्ट रिजेक्ट करने में रही सही कसर पूरी कर देता है। और मुल्जिम की जेब खाली हो जाती है। अपराधी है या बेकसूर, यह तो तय ही नहीं हो पाता।
सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंचाना आम आदमी के

Cases जगमोहन सिंह

तफ्तीश में पेंडिंग 70% केसों को दोनों पार्टियों की एक दो बार आपसी मीटिंग करवाकर और मामूली काउंसिलिंग के बाद क्लोजर रिपोर्ट फाइल करके बंद किया जा सकता है।
60% पेंडिंग ट्रायल केसों में से आधे मामूली काउंसिलिंग के बाद विद्वानों को मिल सकते हैं, बाकी में समझौते होकर राहत मिल सकती हैं। इससे अदालत और लोगों का समय बचाया जा सकता है। बस काउंसलर सही मंशा वाले होने चाहिए लिटिगेंट्स से फीस लेने का ध्यान थोड़ा सा कम करना होगा।
कम मुकदमे होंगे तो लोगों पर टैक्स भी घट जाएगा। सरकार तो और कहीं से भी कमा लेगी!
90% मुकदमे तो करने की जरूरत ही नहीं होती। गुस्से में या उकसावे में कर दिये जाते हैं क्योंकि ग्रामीण पंचायती व्यवस्था ने काम करना बंद कर दिया है। उसमें राजनीति घुस गई। ग्रामीण भाईचारा राजनीति की भेंट चढ़ गया। पर अभी बिना कुछ नहीं सब आराम से पुनर्जीवित हो सकता है।
कर के तो देखें।
बस की बात ही नहीं है। सरकारी खजाना लूटा कर कोई भी जा सकता है। कौन देगा 10 लाख रुपये एक पेशी के जब उस पेशी पर सुनवाई होने की कोई पक्की उम्मीद ही ना हो? ज्यूडिशल सिस्टम का ढांचा जानबुझकर इतना खराब किया गया कि अब ठीक करना बहुत मुश्किल वाला काम है। बड़ी जान चरिणा पर सुनवाई रहने है उन सांसदों का खराब कैलिबर किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन पर चलने वाला कोड़ा whip भी सबको पता है। उन की कोई मजाल नहीं है कि कोई कानून लोगों को पक्ष का भी सही बना दे। ऐसा करने से बुरा तो लगता है पर अब मजबूरी बना गई। आजादी के 77 साल बाद भी नानारिको ऐसी न्यायिक दुर्दशा बर्दाश्त से बाहर है।

प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का 'मास्टरस्ट्रोक' मजिंदर सिंह सिरसा ने जारी किए 3 नए गाइडलाइन

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की है कि गुरुवार से बिना पीयूसी प्रमाणपत्र के वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी वाहन मालिकों को मानदंडों का पालन करने के लिए एक दिन का समय दिया गया है। दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस छह से कम श्रेणी के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठा रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना और प्रदूषण निगरानी संयंत्र स्थापित करना शामिल है।

पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने बिना पीयूसी प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरने की अनुमति न देने की घोषणा की।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को घोषणा की कि गुरुवार से राष्ट्रीय राजधानी में वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी वाहन मालिकों को पीयूसी मानदंडों का पालन करने के लिए एक दिन का समय दिया गया है। दिल्ली सचिवालय में पत्रकार वार्ता के दौरान सिरसा ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर लगे ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहनों की स्वतः ही पहचान कर लेंगे। ऐसे वाहनों को बिना किसी झड़प या व्यवधान के ईंधन देने से इनकार कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं रखने वाले आठ लाख से अधिक वाहन मालिकों पर पहले ही जुर्माना लगाया जा चुका है।

मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत और बीएस छह से कम श्रेणी के सभी वाहनों को ग्रेप तीन और ग्रेप चार लागू होने की वजह से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे में गुरुवार से और अगले आदेश तक, दिल्ली के बाहर से आने वाले सिर्फ बीएस छह वाहनों को ही शहर में प्रवेश करने की अनुमति होगी।

मंत्री ने कहा कि 2025 में दिल्ली की वायु गुणवत्ता पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग आठ महीने बेहतर रही है। प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की पहलों पर प्रकाश डालते हुए सिरसा ने कहा कि प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है। राजधानी में कचरे के ढेर की ऊंचाई



15 मीटर कम हो गई है। पुराने कचरे से प्रभावित कुल 202 एकड़ भूमि में से 45 एकड़ भूमि को साफ करके पुनः प्राप्त कर लिया गया है और वहां पीथारोपण अभियान शुरू कर दिए गए हैं।

इसी प्रकार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने अब तक 2,000 से अधिक प्रदूषण निगरानी संयंत्र स्थापित किए हैं और 9.2 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है। अन्य विभागों द्वारा भी सख्तों बरती जा रही है। सिरसा ने कहा कि निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही दोषी वाहनों को सील कर दिया जाएगा।

पर्यावरण मंत्री ने जानकारी दी कि डीपीसीसी व जिला प्रशासन टीमों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, पुनर्वास और अनधिकृत इलाकों में सर्वे किया जा रहा है। अब तक 824 औद्योगिक इकाइयों को चिह्नित कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। डीजल जनरेटर सेट और प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी सख्त कार्रवाई जारी है। 13,200 से अधिक

जनरेटर सेट की सीएक्यूएम मानकों के अनुसार जांच की गई है। वहीं 318 बैकवेट हालों को डीजी सेट मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सिरसा ने कहा कि बायोमेथेनेशन संयंत्र भी प्रदूषण में योगदान करते हैं। इसीलिए सरकार ने उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ संचालन सुनिश्चित करने के लिए 10,000 हीटर उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि जहां पिछली सरकार ने 2018 में 13 प्रदूषण हाट स्पाट की पहचान की थी, वहीं मौजूदा सरकार ने 62 हाट स्पाट की पहचान की है और उन पर काम भी कर रही है।

सिरसा ने कहा कि दिल्ली में वर्तमान में 3,400 इलेक्ट्रिक बसें हैं। सरकार स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दे रही है और 7,500 इलेक्ट्रिक बसों को तैनात करने की योजना बना रही है, जिससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण में काफी कमी आएगी। उन्होंने बताया कि एक वैज्ञानिक समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण उपायों की सिफारिश करने के लिए पहले ही बैठक

की है। उन्होंने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने भी एक समिति का गठन किया है।

प्रदूषण खत्म नहीं कर सकते पर मंत्री ने मांगी माफ़ी

पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली में प्रदूषण पूरी तरह खत्म नहीं कर पाने के लिए माफ़ी मांगते हुए कहा कि आठ नौ महीने में किसी भी सरकार के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। सिरसा ने इस 'बीमारी' के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा।

सिरसा ने कहा, दिल्ली में प्रदूषण की बीमारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पुरानी सरकारों की देन है। उन्होंने दोनों पार्टियों को एक साथ निशाने पर लेते हुए कहा, "10-11 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियां और 15 साल की कांग्रेस की बीमारी है। जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मास्क लगाकर बातें कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले साल आपके मास्क कहाँ थे? पिछले साल इससे ज्यादा प्रदूषण था।"

सेवा, संस्कार और समर्पण की मिसाल हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज : मनप्रीत कौर

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)


वृन्दान। परिक्रमा मार्ग स्थित गौरी गोपाल आश्रम में संकट मोचन सेना (महिला प्रकोष्ठ) पंजाब प्रान्त की अध्यक्ष, मां सीता रसोई की संचालिका एवं प्रमुख समाजसेविका रंजना रत्नर श्रीमती मनप्रीत कौर (लुधियाना) के द्वारा आश्रम के संस्थापक व विश्वविख्यात भागवताचार्य डॉ. अनिरुद्धाचार्य महाराज का उनके द्वारा धर्म-अध्यात्म के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान देने एवं वृद्ध माताओं की सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, निर्धन-निराश्रित सेवा आदि के लिए सम्मान किया गया।

बहिन मनप्रीत कौर ने गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक-अध्यक्ष डॉ. अनिरुद्धाचार्य महाराज के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आज के समय में जब अधिकांश बच्चे अपने माता-पिता को घर में रखने से कतराते हैं और उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, ऐसे में डॉ. अनिरुद्धाचार्य महाराज उन सभी बेसहारा माताओं को सहारा दे रहे हैं और पूरे सम्मान व प्रेम के साथ उनकी देखभाल कर रहे हैं। इसके अलावा उनके आश्रम में पूरे दिन निरंतर

लंगर सेवा चलती रहती है, और यह सेवा कभी एक दिन के लिए भी नहीं रुकती। यह निःस्वार्थ सेवा, त्याग और करुणा का जीवंत उदाहरण है।

रंजना रत्नर मनप्रीत कौर ने कहा कि डॉ. अनिरुद्धाचार्य महाराज धर्म व अध्यात्म की बहुमूल्य निधि हैं। उनके द्वारा श्रीमद्भागवत कथा, श्रीराम कथा एवं अपने प्रवचनों व समागमों के माध्यम से असंख्य व्यक्तियों को प्रभु भक्ति के मार्ग से जोड़ने का जो अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है, वो अति प्रशंसनीय है।

इस अवसर पर साहित्य संस्कृति मंत्री श्री रत्न रत्न डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी, आचार्य अंशुल पारशर, भागवताचार्य सुमंत कृष्ण शास्त्री महाराज, धर्म पथिक शैलेंद्र कृष्ण महाराज, भागवताचार्य विमल कृष्ण पाठक, आचार्य शिवम साधक, बागेश्वर धाम के आचार्य रेहिति रिहारिया, आचार्य ब्रदीश महाराज, डॉक्टर राधाकांत शर्मा, डॉक्टर सत्यमित्रानंद महाराज, पंडित श्याम सुंदर ब्रजवासी आदि के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।



सातवें वेतन आयोग के बाद आठवां वेतन आयोग- समय, सिफारिशें, संभावित वेतन वृद्धि और एरियर का समग्र विश्लेषण

वैश्विक स्तर पर भारत में केंद्रीय सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन आयोग केवल वेतन संशोधन का माध्यम नहीं होते, बल्कि यह सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा, जीवन-स्तर, उपभोग क्षमता और मध्यमवर्गीय स्थिरता का सबसे बड़ा आधार होते हैं। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग का 10 वर्षीय कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, और इसके साथ ही देश का ध्यान स्वाभाविक रूप से आठवें केंद्रीय वेतन आयोग पर केंद्रित हो गया है। यह केवल वेतन वृद्धि का सवाल नहीं है, बल्कि यह प्रश्न भी है कि महंगाई, जीवन-यापन की बढ़ती लागत, रियल इनकम में गिरावट और भविष्य की आर्थिक चुनौतियों के बीच सरकार अपने कर्मचारियों को किस तरह का संरचनात्मक संरक्षण देती है। मैं एडवोकेट विश्वानंद मुकुंददास भावनांनी गौडिया महाराष्ट्र यह मानता हूँ कि भारत में परंपरागत रूप से यह देखा गया है कि किसी भी वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार उसे लागू करने से पहले तीन से छह महीने तक वित्त मंत्रालय, कार्मिक विभाग और कैबिनेट स्तर पर विचार-विमर्श करती है। इसी कारण यह लगभग तय माना जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू नहीं हो पाएगा।

साथियों बात अगर हम सातवें वेतन आयोग की समाप्ति और आठवें वेतन आयोग की आवश्यकता को समझने की करें तो, सातवें वेतन आयोग को वर्ष 2016 में लागू किया गया था। तब से लेकर अब तक देश की आर्थिक परिस्थितियों में भारी बदलाव आए हैं। महंगाई दर, स्वास्थ्य और शिक्षा खर्च, आवास लागत, शहरीकरण और तकनीकी परिवर्तन इन सभी ने सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक आय पर दबाव डाला है। हालांकि महंगाई भत्ता समय-समय पर बढ़ता रहा, लेकिन वेतन संरचना मूल रूप से वही बनी रही। यही

कारण है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद नया वेतन आयोग केवल औपचारिकता नहीं बल्कि आर्थिक अनिर्वायता बन चुका है। सरकार द्वारा गठित आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना देसाई कर रही हैं। यह नियुक्ति यह संकेत देती है कि आयोग से न्यायपूर्ण, संतुलित और संवैधानिक दृष्टि से सुदृढ़ सिफारिशों की अपेक्षा की जा रही है। आयोग को निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर सिफारिशें देनी हैं वेतन संरचना के साथ फिटमेंट फैक्टर विभिन्न प्रकार के भत्ते, रिटायरमेंट लाभ, पेंशन और परिवारिक पेंशन, ग्रेज्युटी और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपाय। सरकार ने आयोग को नए वेतन का समय दिया है। एटर्स ऑफ़ रेफरेंस और रिपोर्ट की संभावित समयसीमा-आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस अक्टूबर 2025 में जारी किए गए हैं। इसके बाद आयोग ने अपना काम औपचारिक रूप से शुरू किया। वर्तमान अनुमानों के अनुसार- (1) आयोग की रिपोर्ट अप्रैल 2027 तक आने की उम्मीद है। (2) रिपोर्ट आने के बाद सरकार आमतौर पर 3 से 6 महीने विचार-विमर्श और वित्तीय मूल्यांकन में लगाती है। (3) इसका सीधा मतलब यह है कि जनवरी 2026 में नया वेतन आयोग लागू होना लगभग असंभव है।

साथियों बात अगर हम आठवां वेतन आयोग के बाद लागू हो सकता है? इसके समझने की करें तो, विचार-विमर्श और नीति चर्चा स्पष्ट कर चुके हैं कि, आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को लागू करने की तारीख और फंडिंग पर फेसला बाद में लिया जाएगा, इस बयान का नीतिगत अर्थ यह है कि सरकार फिलहाल कोई पूर्व-निर्धारित तारीख घोषित नहीं करना चाहती, ताकि राजकोषीय संतुलन और राजकोषीय परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जा सके। विश्लेषकों की आम राय है कि, 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में आठवां वेतन आयोग लागू



हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और इसका महत्व- फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिसके माध्यम से पुराने वेतन को नए वेतन ढांचे में बदला जाता है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इसका अर्थ यह था कि, नया मूल वेतन = पुराना मूल वेतन × 2.57 आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि यही कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी का आधार बनेगा।

साथियों बात अगर हम निजी वित्तीय अनुसंधान संस्था एम्बिड कैपिटल का अनुमान को समझने की करें तो आठवें वेतन आयोग में कुल मिलाकर 30 से 34 प्रतिशत तक वेतन और पेंशन में वृद्धि हो सकती है। इस वृद्धि की प्रक्रिया यह होगी कि पहले मौजूदा महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा और उसके बाद नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन संरचना लागू की जाएगी। कुछ मीडियारिपोर्ट्स में 50 से 54 प्रतिशत तक वेतन वृद्धि की बात भी सामने आई है, लेकिन अधिकांश अर्थशास्त्री और नीति विशेषज्ञ इस संभावना को कम मानते हैं क्योंकि इतनी बड़ी वृद्धि से केंद्र सरकार के राजकोषीय संतुलन पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा। यदि व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.1 के बीच रह सकता है। इसका अर्थ यह होगा कि वास्तविक वेतन वृद्धि लगभग 30 से 34 प्रतिशत के दायरे में सीमित रहेगी, जो सरकार और कर्मचारियों दोनों के लिए एक संतुलित समाधान माना जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी

कर्मचारी का वर्तमान बेसिक वेतन 18,000 रूपए है और उस पर लगभग 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, तो कुल प्रभावी वेतन 27,000 रूपए के आसपास होता है। जब इस महंगाई भत्ते को बेसिक में जोड़ दिया जाएगा, तो नया बेसिक 27,000 रूपए माना जाएगा। यदि इस पर 1.9 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो नया बेसिक वेतन 51,300 रूपए के करीब पहुंच सकता है। यह वृद्धि दिखने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन वास्तव में यह महंगाई भत्ते के समायांजन के बाद की वास्तविक वृद्धि है।

साथियों बात अगर हम आठवें वेतन आयोग का प्रभाव केवल कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेंशनभोगियों के लिए भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, इसको समझने की करें तो, पेंशन आमतौर पर अंतिम बेसिक वेतन का 50 प्रतिशत होती है, इसलिए जब बेसिक वेतन में वृद्धि होगी तो पेंशन में भी समानुपातिक बढ़ोतरी होगी। यदि किसी पेंशनभोगी की मौजूदा पेंशन 20,000 रूपए है और महंगाई भत्ते को जोड़कर यह 30,000 के आसपास पहुंच चुकी है, तो नए वेतन ढांचे में 1.9 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर संशोधित पेंशन लगभग 28,500 से 30,000 रूपए के बीच हो सकती है। यह वृद्धि बुजुर्ग पेंशनरों के लिए जीवन-यापन में बड़ी राहत लेकर आएगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि आठवां वेतन आयोग 2028 में लागू होता है तो कर्मचारियों और पेंशनरों को कितना एरियर मिलेगा। यदि यह मान लिया जाए कि आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026

से प्रभावी मानी जाएं, लेकिन वास्तविक भुगतान जनवरी 2028 से शुरू हो, तो कुल 24 महीनों का एरियर बनता है। यदि किसी कर्मचारी की मासिक वेतन वृद्धि 15,000 रूपए है, तो दो वर्षों का एरियर 3,60,000 रूपए का हो सकता है। इसी तरह यदि किसी पेंशनभोगी की मासिक पेंशन वृद्धि 6,000 रूपए है, तो उसका एरियर लगभग 1,44,000 रूपए हो सकता है। यह एरियर एकमुश्त दिया जाएगा या किश्तों में, इसका निर्णय सरकार और सरकार की राजकोषीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास होगा। भले ही यह आयोग जनवरी 2026 में लागू न हो पाए, लेकिन 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में इसके लागू होने की प्रबल संभावना है। उस समय तक कर्मचारियों को न केवल संशोधित वेतन मिलेगा, बल्कि बड़े एरियर के रूप में एकमुश्त आर्थिक राहत भी प्राप्त हो सकती है, जो मौजूदा महंगाई और आर्थिक दबावों के बीच उनके लिए एक महत्वपूर्ण सहारा सिद्ध होगी।

सर्दियों में अपनी सेहत के लिये अपनाएं खास खाद्य और व्यायाम और अपनी सेहत को रखें स्वस्थ : डॉ हृदयेश कुमार

परिवहन विशेष न्यूज

फरीदाबाद संरियाणा डॉ हृदयेश कुमार अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट ने शिव गिंदर परिसर तिरछा कोलोन बल्लभगढ़ में सर्दियों में सेहत पर ध्यान देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। डॉ. हृदयेश कुमार ने बताया कि सर्दियों में सेहत पर ध्यान देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। डॉ. हृदयेश कुमार ने बताया कि सर्दियों में सेहत पर ध्यान देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। डॉ. हृदयेश कुमार ने बताया कि सर्दियों में सेहत पर ध्यान देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया।



मिलती है, जिससे विटामिन डी की कमी हो सकती है। प्राकृतिक विटामिन डी संश्लेषण के लिए सुबह की धूप में 15-20 मिनट बिताएं। अपने जीवन में मशरूम, फोर्टिफाइड दूध और सोय मिल्क शामिल करें। यदि आवश्यक हो तो विटामिन डी के टैबलेट के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श करें। पर्याप्त विटामिन डी लेने के साथ, प्रोटीन और स्वस्थ जीवन शक्ति का समर्थन करता है। प्राणायाम (योगिक व्यायाम) जैसे अभ्यास फेफड़ों की क्षमता में सुधार कर सकते हैं और शरीर को गर्म रख सकते हैं और शरीर को गर्म रख सकते हैं और शरीर को गर्म रख सकते हैं। बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए एयर प्यूरिफायर में निवेश करें या एरिका प्लांट जैसे इंडोर पौधे रखें। यह स्वस्थ फेफड़ें सुनिश्चित करते हैं कि आप पूरे शीतकाल में सक्रिय और ऊर्जावान बने रहें। सर्दियों की रातें आरामदायक नींद के लिए आर्यारी लेती हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप अच्छी गुणवत्ता वाली नींद के लिए मासिक तैयार कर रहे हैं। तले हुए नश्ते की जगह मुनी हुई मूकफली, तिल के साथ गुड़ (तिल के तूह) या मखाना खाएं। गाजर, पालक और मूली जैसे मौसमी सब्जियों के साथ बार-बार छोटे-छोटे भोजन

करने से आपकी ऊर्जा स्थिर रहती है। स्वस्थ वजन बनाए रखने से आपके हृदय और जोड़ों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। सूर्य के प्रकाश और गतिविधि से अपना मूड बेहतर करें। छोटे दिन कभी-कभी मूड में गिरावट का कारण बन सकते हैं, तब तो मौसमी मानसिक विकार (एसडी) के रूप में जाना जाता है। पार्क में सुबह की सैर भी आपके मन प्रसन्न कर सकती है। अपनी ऊर्जा को उभारने के लिए योग या इनवर्टेड टर्कआउट का प्रयास करें। शरीर को गर्म बनाए रखने के लिए रल्ले धर्मल और गर्म शॉल का उपयोग करें और जोड़ों की गतिविधियों में सुधार के लिए सुबह की स्ट्रेचिंग या रल्ले योग जैसे गतिविधियों को प्राथमिकता दें। ठंडे फर्श के संपर्क को कम करने के लिए गतीये या कार्तीन का उपयोग करें। कीटाणुनाशकों के फैलने से रोकने के लिए नियमित रूप से सतहों को साफ करें और दाढ़ घोंटें। एक गर्म शॉल और स्वच्छ परतू दाढ़ाकरण स्वस्थ संबंधी समस्याओं के जोड़ों को कम करता है और समग्र आराम को बढ़ावा देता है। सर्दी का मौसम अपने त्वचा, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों और ठंडे मौसम के साथ आरंभ लेने का समय है। इन व्यावहारिक सुझावों का पालन करके, आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं और मौसम का पूरा आनंद ले सकते हैं। सर्दियों के दौरान, अर्थव्यक्ति संसाधित या उच्च शक्ति वाले खाद्य पदार्थों को सीमित करना सबसे अच्छा है, क्योंकि वे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने को कम कर सकते हैं। अपने शरीर को नज़रबंद रखने के लिए ताज़े, मौसमी और साबुत खाद्य पदार्थों का चुनाव करें।

एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था ने विजय दिवस पर 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी

परिवहन विशेष न्यूज

एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेश कुमार साहू संरक्षक रुपेंद्र नागर के नेतृत्व में संस्था के माध्यम से विजय दिवस के अवसर पर 30 मिनट की शहीद वीर जवानों को संस्था पदाधिकारियों ने केडल जलाकर लहंगी नैनीताल रोड स्थित शहीद वंद्यरोधक मिश्रा पार्क में श्रद्धांजलि दी



इस दौरान एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था मार्गदर्शक धरम पाल सदस्य नवीश साहू ने संयुक्त रूप से कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत शौर्य पराक्रम उक्तकृष्ण राण कौशल और अद्भुत कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक विजय दिवस हम भारतीयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से शुरू हुए बांग्लादेश मुक्ति संग्राम युद्ध में 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के अध्यक्ष साहस पराक्रम से 93 हजार पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया जिससे भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिलाकर दुनिया के नवशे को

बदलकर बांग्लादेश का जन्म कराकर भारत ने गानवीय नृत्नों को निभाते हुए यह युद्ध जीतकर विश्व विजयी तिरंगा लहराकर पाकिस्तान को हरा दिया लेकिन इस युद्ध में भारतीय सेना के शहीद जवानों के बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता इसलिए एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़े गए युद्ध में भारतीय सेना के शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट कर उनके बलिदान को हमेशा याद रखती है और यह हम सभी भारतीयों का परम कर्तव्य है इस दौरान श्रद्धांजलि देने में एक समाज



अंतरराष्ट्रीय ब्यूटी उद्योग की पहली पसंद बनी "मुल्तानी मिट्टी"

रामस्वरूप रावतसरे

राजस्थान के बाड़मेर एवं अन्य सरहदी जिले का नाम अक्सर वीरों की भूमि, युद्धों की कहानियों और थार की शौर्यगाथाओं के कारण सुर्खियों में रहता है लेकिन इस सीमांत इलाके की पहचान केवल वीरता तक सीमित नहीं है। यहां की रंगिस्तानी धरती में एक ऐसा प्राकृतिक खजाना छिपा है जिसकी मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे विकसित देश तक इसके दीवाने हो चुके हैं। इस मिट्टी का उपयोग चेहरे की खूबसूरती निखारने से लेकर बालों की मजबूती तक के लिए किया जाता है। स्थानीय लोग तो वर्षों से इस पारंपरिक मिट्टी पर भरोसा करते आए हैं लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय ब्यूटी उद्योग भी इसे अपने उत्पादों में खास जगह देने लगा है।

बाड़मेर समेत आसपास के क्षेत्रों में मिलने वाली मुल्तानी मिट्टी दिखने में भले ही सामान्य लगे लेकिन जानकारों के अनुसार इसके गुण इसे खास बनाते हैं। चेहरे पर लगाने से स्किन ग्लो करती है और टाइट होती है जबकि बालों पर लगाने से वे घने, काले और रेशमी बन जाते हैं। यही कारण है कि देसी बाजारों से निकलकर मुल्तानी मिट्टी अब अंतरराष्ट्रीय ब्यूटी ब्रांडों की पहली पसंद बन चुकी है। विदेशों में इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि कई जगह इसे प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट्स में शामिल किया जा रहा है।

थार के धोरों में मिलने वाली यह मुल्तानी मिट्टी स्थानीय बाजारों में 20 से 30 रुपये प्रति किलो में आसानी से मिल जाती है लेकिन जब यही मिट्टी अमेरिका, जापान और यूरोप के बाजारों में पहुंचती है तो इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। विदेशों में इसे नेचुरल स्किन क्लेजर और ब्यूटी इंग्रिडिएंट के रूप में बेचा जाता है जहां इसका मूल्य प्रीमियम श्रेणी में माना जाता है। बाड़मेर की मिट्टी की खासियत यही है कि इसमें पाए जाने वाले मिनरल्स की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरती है जिसके कारण विदेशी उपभोक्ताओं के बीच इसकी मांग तेजी से बढ़ी है।

जानकारों के अनुसार बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों मुल्तानी मिट्टी को फेस मास्क, स्किन केयर किट और स्पा ट्रीटमेंट जैसे उत्पादों में शामिल कर रही हैं। मुल्तानी मिट्टी नेचुरल स्किन क्लेजर, ऑयल कंट्रोल एजेंट, टॉक्सिन एब्जॉर्बर और आयुर्वेदिक ब्यूटी इंग्रिडिएंट के रूप में बेहद लोकप्रिय हो चुकी है। खास बात यह है कि यह 100 फीसदी प्राकृतिक होती है और किसी भी रसायन से मुक्त रहती है जिससे यह संवेदनशील त्वचा के लिए भी सुरक्षित मानी जाती है। यही वजह है कि केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स से दूरी बनाने वाले देशों में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है।

बाड़मेर और आसपास का इलाका सदियों से मुल्तानी मिट्टी के लिए जाना जाता है। यहां की मिट्टी

में प्राकृतिक मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है जो त्वचा के लिए लाभकारी मानी जाती है। यही मिनरल्स स्किन टाइटनिंग, ग्लो बढ़ाने और त्वचा को साफ रखने में कारगर होते हैं। आयुर्वेदिक उपचारों में मुल्तानी मिट्टी का उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है और आधुनिक बाजार भी अब इसकी क्षमता को समझने लगा है।

अमेरिका और जापान जैसे देशों में नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। यहां के उपभोक्ता केमिकल युक्त उत्पादों से दूरी बनाते हुए मिट्टी और जड़ी-बूटी आधारित उत्पादों की ओर बढ़ रहे हैं। बाड़मेर की मुल्तानी मिट्टी का टेक्सचर और उच्च गुणवत्ता वाले मिनरल्स इसे अंतरराष्ट्रीय उपयोग के लिए उपयुक्त बनाते हैं।

संपूर्ण संहत के लिए गुणकारी मुल्तानी मिट्टी एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल घरेलू नुस्खों में प्राचीन समय से ही किया जाता आ रहा है अनेक तरह के ब्यूटी व स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग होता है। मुल्तानी मिट्टी अनेक स्किन संबंधित समस्याएं जैसे फोड़े फुंसी, दाग धब्बे, मुंहासे, झुर्रियां, ट्रेनिंग आदि दूर करने के साथ-साथ त्वचा पर बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करके त्वचा को जवां बनाने का भी काम करती है। अक्सर गर्मियों के मौसम में त्वचा पर होने वाली घमोरी से भी छुटकारा दिलाकर त्वचा को ठंडक पहुंचाती है। मुल्तानी मिट्टी त्वचा के



साथ-साथ बालों के लिए भी बेहद गुणकारी मानी जाती है इसे बालों में लगाने से बाल सॉफ्ट और काले बने रहते हैं।

आयुर्वेद में मुल्तानी मिट्टी का काफी महत्व बताया गया है क्योंकि आयुर्वेद में मुल्तानी मिट्टी को एक औषधीय गुणों से भरपूर औषधि माना गया है। मुल्तानी मिट्टी स्किन व बालों के साथ साथ सम्पूर्ण संहत के लिए बेहद गुणकारी होती है। मुल्तानी मिट्टी का उपयोग व्यापक रूप से सौंदर्य और त्वचा की देखभाल या उपचार के लिए किया जाता है, साथ ही बालों संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने और बालों को नेचुरल चमक देने के लिए भी मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है।

स्किन पर मुल्तानी मिट्टी लगाने के किसी तरह से कोई दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट नहीं है इसलिए स्किन व बालों संबंधी समस्याएं दूर करने के लिए मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग सदियों से किया जाता है। यह एक ऐसी उपयोगी मिट्टी है जो स्किन को हर तरह से सुरक्षा प्रदान करती है मुल्तानी मिट्टी पाकिस्तान के मुल्तान शहर में भी पाई जाती है इसलिए ही इसका नाम मुल्तानी मिट्टी पड़ा है। ग्रामीण इलाकों में मुल्तानी मिट्टी को 'मेट' 'गाचनी मिट्टी' के नाम से भी जाना जाता है।

इसमें खनिज और पानी की मात्रा अधिक होती है और मुल्तानी मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम जैसी धातुओं के अणु मौजूद होते हैं। इसमें

मॉर्टारिलोनाइट के अलावा एटापुलाइट और पैल्योरोसाइट जैसे मुख्य खनिज तत्व भी शामिल होते हैं मुल्तानी मिट्टी मुख्य रूप से हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट्स का एक रूप है। महिलाओं में अक्सर होने वाली खून की कमी की समस्या में भी मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह आयरन से भरपूर होती है। पुराने समय में महिलाओं को प्रेगनेसी के दौरान मुल्तानी मिट्टी खाने की सलाह दी जाती थी।

आजकल के युवा सुंदर दिखने और खूबसूरत त्वचा और बाल पाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं और इसके त्वचा की रंगत फीकी पड़ने के साथ-साथ अनेक तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है।

इसलिए इस तरह की समस्याओं से बचने और त्वचा को खूबसूरत बनाने के लिए मुल्तानी मिट्टी को बेहद गुणकारी माना जाता है। मुल्तानी मिट्टी त्वचा से अतिरिक्त तेल, अशुद्धियां और मृत त्वचा कोशिकाओं को हटा देती है, जिससे त्वचा को प्राकृतिक चमक मिलती है। मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल या पानी मिलाकर पेस्ट तैयार करके इसे त्वचा पर लगाया जाता है।

क्या भ्रष्टाचार का समाधान केवल कानून से संभव है?

डा. वीरेन्द्र भट्टी मंगल

राजस्थान की राजनीति में इन दिनों राजनेताओं से जुड़े भ्रष्टाचार की चर्चा व्यापक स्तर पर है। जब राजनीति से जुड़े लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं तो लोकतंत्र की क्या दशा होगी, हम अंदाजा लगा सकते हैं। भ्रष्टाचार आधुनिक समाज की सबसे जटिल और गंभीर समस्याओं में से एक है। यह न केवल आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है, बल्कि सामाजिक नैतिकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता के विश्वास को भी कमजोर करता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए कठोर कानून और सख्त दंड ही सबसे प्रभावी उपाय हैं किंतु यथन यह उठता है कि क्या वास्तव में भ्रष्टाचार का समाधान केवल कानून से ही संभव है? इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है।

निस्संदेह, कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, लोकपाल, सतर्कता आयोग, सीबीआई जैसी संस्थाएं तथा न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने और दोषियों को दंडित करने में सहायक रही हैं। कानून का भय व्यक्ति को गलत कार्य करने से रोकने में कुछ हद तक प्रभावी भी होता है। जब दंड कठोर और प्रक्रिया पारदर्शी होती है, तो भ्रष्टाचार गलत नहीं होगा कि कानून भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई की आधारशिला है।

लेकिन केवल कानून पर्याप्त नहीं है, यह तथ्य व्यवहार में बार-बार सिद्ध हुआ है। अनेक सख्त कानूनों के बावजूद भ्रष्टाचार समाज के विभिन्न स्तरों पर विद्यमान है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि कानून तब तक प्रभावी नहीं हो सकता, जब तक उसके क्रियान्वयन में ईमानदारी और निष्पक्षता न हो। यदि कानून लागू करने वाली संस्थाएं ही भ्रष्टाचार से प्रसन्न हों तो कानून मात्र कागजों तक सीमित रह जाता है। लंबी न्यायिक प्रक्रियाएं, राजनीतिक हस्तक्षेप और दंड में देरी भी कानून की प्रभावशीलता को कम कर देती हैं। भ्रष्टाचार की जड़ें केवल कानूनी ढांचे की कमजोरी में नहीं बल्कि सामाजिक, नैतिक और मानसिक

प्रवृत्तियों में भी निहित हैं। जब समाज में अनैतिक आचरण को भी नैतिक मिलती है, रिश्तवत को सिस्टम का हिस्सा मान लिया जाता है और व्यक्तिगत लाभ को सार्वजनिक हित से ऊपर रखा जाता है, तब कानून अकेला कुछ नहीं कर सकता। स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार एक नैतिक संकट भी है। इस संकट में नैतिक शिक्षा और मूल्यबोध की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। बचपन से ही ईमानदारी, उच्च दायित्व, पारदर्शिता और सामाजिक कर्तव्य जैसे मूल्यों का संस्कार यदि परिवार और शिक्षा-प्रणाली के माध्यम से किया जाए तो भविष्य में भ्रष्ट आचरण की प्रवृत्ति स्वतः कम हो सकती है।

जिस समाज में ईमानदारी को सम्मान और भ्रष्टाचार को सामाजिक तिरस्कार मिले, वहां कानून को बार-बार कठोर होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक सुधार भी भ्रष्टाचार-निवारण में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रक्रियाओं का सरलीकरण, डिजिटल तकनीक का प्रयोग, ई-गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, और पारदर्शी निर्णय-प्रणाली भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करती है। जब मानवीय हस्तक्षेप घटता है और जवाबदेही बढ़ती है, तब रिश्तवत और अनियमितताओं की गुंजाइश स्वतः सीमित हो जाती है।

जनभागीदारी और जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। यदि नागरिक स्वयं भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़े हों, शिकायत दर्ज कराएं, और 'देने' के साथ-साथ 'लेने' से भी इंकार करें, तो व्यवस्था पर सकारात्मक दबाव बनता है। मीडिया, नागरिक समाज और सामाजिक आंदोलनों की सक्रियता भी भ्रष्टाचार को उजागर करने और जनमत तैयार करने में सहायक होती है। भ्रष्टाचार का समाधान केवल कानून से संभव नहीं है लेकिन कानून के बिना भी संभव नहीं है। कानून आवश्यक है, पर पर्याप्त नहीं। इसके साथ नैतिक शिक्षा, सामाजिक चेतना, प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता का समन्वय अनिवार्य है। जब कानून, नैतिकता और समाज तीनों एक साथ सक्रिय होते हैं, तभी भ्रष्टाचार पर वास्तविक और स्थायी नियंत्रण संभव हो पाता है।

सफलता का अंधेरा: जब सब कुछ है, पर कुछ भी नहीं [सफलता की असली परीक्षा: अकेलापन और रिश्ते]

सफलता, एक ऐसा शब्द जो सुनते ही आँखों में चमक भर देता है। मंच पर रोशनी, तालियों की गूँज, महँगी गाड़ियाँ, आलीशान घर और हर तरफ़ तारीफ़ों की बारिश। समाज इसे केवल मुकाम नहीं, बल्कि मुकुट समझता है। जिसे यह मिल जाए, वही पूर्ण माना जाता है। लोग सफलता को सबसे बड़ी दौलत मानते हैं, और इसके लिए इंसान अपनी जिंदगी की हर छोटी खुशी को पीछे छोड़ देता है। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के पीछे एक अनकहा साया भी चहता है, जिसे बहुत कम लोग देखना चाहते हैं। सफलता की ऊँचाई पर पहुँचते ही इंसान एक अजीब खामोशी में खो जाता है। आवाज़ें दूर चली जाती हैं, हँसी फीकी पड़ जाती है, और भीतर एक ठंडी, सुनसान रात उतर आती है। यही वह क्षण है जब चमक के बीच अकेलेपन का अंधेरा धीरे-धीरे फैलने लगता है, और इंसान अपने भीतर की खोई हुई दुनिया से रूबरू होता है।

सोचिए उस व्यक्ति की कहानी जिसने अपने सपनों को सच करने के लिए खुद को भुला दिया। दिन काम में डूबे रहे, रातें बेचैन रहती, रिश्ते "कल" पर टूटते गए। परिवार पास था, पर दूरी महसूस होती रही; दोस्त साथ थे, पर उनकी बातें सुनी नहीं गईं। हर पल काम और लक्ष्य के लिए समर्पित रहा, और अपनी जरूरतों, अपनी भावनाओं, अपनी खुशियों को पीछे छोड़ दिया। आज वह अकेले सफलता की ऊँचाई पर है—नाम, दाम और पहचान सब

उसके पास हैं। लेकिन जब दिन की रोशनी बूझती है, तो वह अपने ही घर में अजनबी बन जाता है। फोन में अनगिनत नंबर हैं, लेकिन कोई नहीं जो दिल की हालत पूछे। सफलता ने उसे बहुत कुछ दिया, लेकिन बदले में उससे वह सब छीन लिया जो उसे इंसान बनाता था—वो अपनापन, वो सहजता, वो बिना शर्त की हँसी और रिश्तों की गर्माहट।

यह अकेलापन किसी विशेष पेशे या वर्ग तक सीमित नहीं है। पद पर चमकते सितारे, मैदान में जीतते खिलाड़ी, किताबों में अमर लेखक, या प्रयोगशालाओं में इतिहास रचते वैज्ञानिक—सभी इस सनाटे का सामना करते हैं। जब तालियाँ थम जाती हैं, कैमरे हट जाते हैं, तब बचता है सिर्फ़ एक इंसान और उसकी खामोशी। रिश्ते अब भावनाओं से नहीं, उपलब्धियों से जुड़े होते हैं। लोग साथ चलते हैं, लेकिन कदम सफलता के साथ मिलाते हैं, इंसान के साथ नहीं। जैसे-जैसे ऊँचाई बढ़ती है, साथ चलने वाले कम होते जाते हैं। इस अकेलेपन में सबसे दर्दनाक बात यह है कि यह दिखाई नहीं देता। बाहर मुस्कान होती है, भीतर टूटन। व्यक्ति खुद को मजबूत दिखाने के लिए दर्द छिपाता है, और यही छिपा दर्द धीरे-धीरे उसे खोखला कर देता है। यादें बार-बार लौटती हैं—माँ की आवाज़, दोस्तों की हँसी, बिना मतलब की बातें। सब कुछ है, लेकिन वह अपनापन नहीं जो कभी बिना माँग मिले जाता था। सफलता ने जीवन बड़ा कर दिया, लेकिन

दिल को छोटा और सूना छोड़ दिया। समाज इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। हम मान लेते हैं कि जो सफल है, वह खुश होगा। उसकी थकान नहीं देखते, उसकी चुप्पी नहीं सुनते। पैसा सुविधा दे सकता है, सम्मान दिला सकता है, लेकिन किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता, किसी के कंधे पर सिर रखकर रो नहीं सकता। जब इंसान जीवन के अंतिम मोड़ पर पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे उपलब्धियों से ज्यादा रिश्तों की कमी खलती है। तब एहसास होता है कि जीत सब कुछ नहीं होती; कुछ हारें ऐसी होती हैं जो जीवन भर चुपचात रहती हैं। यही वह सच है जो समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। जीत तो देखकर हम केवल चमक देखते हैं, पर उसकी असली कीमत और कीमत चुकाने वाला अकेलापन नहीं।

कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह आपकी सारी सफलता गायब हो जाए, तो क्या कोई ऐसा होगा जो फिर भी आपके पास बैठना चाहेगा? अगर उत्तर "हाँ" है, तो आप सच में सफल हैं। अगर अगर "न" है, तो समझ लीजिए कि आपने मॉडल तो पा ली, लेकिन रास्ते में खुद को खो दिया। सफलता के पीछे नहीं, बल्कि सफलता के साथ चलना जरूरी है—रिश्तों को थामे हुए, अपनापन बनाए रखते हुए। जीवन की असली सफलता कैंचाई नहीं, बल्कि अकेलेपन में भी आराम साथ नहीं छोड़ते। यही वह सफलता है जो दिल को भर देती है, और जीवन

को वास्तविक अर्थ देती है। सफलता की चमक और अकेलेपन की खामोशी—ये दोनों जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं। इसे समझना ही असली परिपक्वता है। जो व्यक्ति केवल सफलता की ओर भागता है, वह कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। वही वास्तव में अमर बनता है, जो रिश्तों और अपनापन को साथ लेकर चलता है। सफलता केवल बाहरी दुनिया की मान्यता नहीं है; यह भीतर की संतुष्टि, आत्मियता और उन रिश्तों में है, जो अंधेरे में भी आपका हाथ थामते हैं और आपका साथ नहीं छोड़ते। यही वह अनमोल सीख है, जिसे हर सच्चा सफल व्यक्ति अपने जीवन भर अपने साथ रखता है।

और सबसे अहम बात—सफलता की असली कसौटी यह नहीं कि आप कितनी ऊँचाई पर पहुँच गए, बल्कि यह कि मुश्किल समय में आपके साथ कौन खड़ा है। यही वह सच्चाई है, जिसे समझकर ही सफलता में स्थायित्व और सच्चा संतोष मिलता है। पैसा, शोहरत, नाम और सम्मान मायने रखते हैं, लेकिन वे अकेलेपन और दिल की खालीपन को नहीं भर सकते। इसलिए सफलता के साथ हमेशा उन लोगों को थामे रखें, जिन्होंने आपकी शुरुआत से ही आपका साथ दिया। यही वह अद्वितीय सफलता है, जो केवल आपकी चमक ही नहीं, बल्कि आपके दिल को भी रोशन करती है।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

क्या है ये SIR ?

विवेक रंजन श्रीवास्तव

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा चलाई जा रही SIR प्रक्रिया मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है जो फर्जी वोटों को हटाने और असली मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

SIR का पूरा नाम Special Intensive Revision है, जिसे हिंदी में विशेष गहन पुनरीक्षण कहा जाता है। यह चुनाव आयोग की एक नियोजित प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची का ब्लॉक लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर मतदाता सूची की जांच करते हैं, नाम, पता, उम्र, परिवार के सदस्यों का सत्यापन करते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य डुप्लिकेट एंट्री, मृत व्यक्तियों के नाम हटाना, तथा पते मतदाताओं या अवैध प्रविष्टियों को हटाना सिर्फ नए 18+ उम्र के मतदाताओं को जोड़ना है।

सर का इतिहास..

SIR कोई नई योजना नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी प्रक्रिया है जो चुनाव पहलू के तहत हर चुनाव से पहले या आवश्यकता पर कानूनी भी जाती रही है। बिहार में हाल ही में इसे सफलपूर्वक लागू किया गया जहां 64 लाख फर्जी वोट हटाए गए और इससे वोटिंग प्रतिशत 10% बढ़ा।

वर्ष 2025 में चुनाव आयोग ने इसे पूरे देश में विस्तार दिया, खासकर 23 साल बाद बड़े पैमाने पर यह हो रहा है लेकिन कुछ राज्य जैसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विपक्ष ने इसका विरोध किया तथा सुप्रीम कोर्ट में इस व्यवस्था को चुनौती दी।

SIR प्रक्रिया का पहला आधिकारिक कार्यान्वयन सन 1952 में हुआ था जब भारत के पहले लोकसभा चुनाव हुए और मतदाता सूची को गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी। उस समय भारत निर्वाचन आयोग को 1950 में स्थापित हुआ था, नरेंद्रकी जिम्मेदारी ली थी। तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन के नेतृत्व में मतदाता सूची शुद्ध करने का यह अभियान संपन्न हुआ था। इसके बाद यह प्रक्रिया समय-समय पर, विशेषकर बड़े चुनावों से पहले, जारी रही जैसे 2002-2004 के बीच पूरे देश में बड़े पैमाने पर सर को क्रियान्वित किया गया था।

SIR का तरीका..

BLO या SIR टीम घर घर आती है, अपना पहचान



पत्र दिखाती है। आप परिवार के वोटिंग लिस्ट के सदस्यों के नाम, पता, परिवार विवरण, दस्तावेज (आधार, राशन कार्ड, बिजली बिल आदि दस्तावेज से) सत्यापित करवाते हैं। फॉर्म 6 (नया पंजीकरण), फॉर्म 7 (नाम हटाना), फॉर्म 8 (सुधार) के फार्म भरवाए जाते हैं।

पारदर्शिता के लिए परिवार वंशाली प्रमाण जरूरी होता है।

बिहार मॉडल पर आधारित, यह वोटर लिस्ट सत्यापन के द्वारा वर्तमान जनसांख्यिकी (शहरीकरण, पलायन) के अनुसूप सही होकर लिस्ट बनाता है।

SIR का औचित्य..

लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची को शुद्धता अनिवार्य है, क्योंकि गलत वोटर चुनावी निष्पक्षता बाधित करते हैं।

SIR से मृत, पलायन कर चुके वोटर लिस्ट से समाप्त होते हैं, यदि कोई चुसपैठिए खासकर विदेशी सीमा से जुड़े प्रदेशों में किसी तरह आ गए हैं तो दस्तावेजों के अभाव में उनकी वोटिंग का गलत अधिकार रोक दिया जाता है। भारत के वास्तविक नागरिक के वोटिंग अधिकार सुरक्षित रहते हैं। वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाता है, क्योंकि बोगस नाम कट जाने से वोटिंग लिस्ट यथार्थ और अद्यतन बन जाती है। विपक्षी आशंकाओं के बावजूद, यह एक रूटीन अभियान है जो वार्षिक संशोधन से आगे जाकर वोट लिस्ट की गहन सफाई सुनिश्चित करता है, ताकि हर योग्य वोट का अधिकार बरकरार रहे।

जब विश्व की राजनीतिक धुरी बदल रही है और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नए अध्याय आकार ले रहे हैं, तब भारत की आवाज़ केवल सुनी ही नहीं जाती, बल्कि वह वैश्विक दिशा को भी प्रभावित करती है। प्राचीन सभ्यतागत विरासत से ऊर्जा लेकर आधुनिक तकनीकी युग में नेतृत्व करता हुआ भारत आज 21वीं सदी के वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त पहचान स्थापित कर चुका है। वर्ष 2023 में जी20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी से लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और स्थायी सदस्यता की निरंतर दुद्द मांग तक, भारत का प्रभाव निरंतर विस्तार पा रहा है। यह उभार किसी एक राष्ट्र की उपलब्धि भर नहीं, बल्कि विकासशील विश्व की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतीक है, जहां भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के साथ-साथ वैश्विक शांति, संतुलन और समृद्धि को ठोस आधारशिला रखती है।

भारत की विदेश नीति की आधारशिला 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के विचार पर टिकी है, जो प्राचीन भारतीय दर्शन से निकलकर आज आधुनिक कूटनीतिक दिशा को भी प्रभावित करती है। यह सिद्धांत केवल विचारात्मक घोषणा नहीं, बल्कि व्यवहारिक नीति के रूप में भारत के कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कोविड-19 महामारी के कठिन दौर में 'वैकसीन मैत्री' के तहत 95 से अधिक देशों तक वैकसीन पहुंचाकर भारत ने स्वयं को विकासशील विश्व का भरोसेमंद और संवेदनशील साझेदार सिद्ध किया। जलवायु संकट के बीच भारत की प्रतिबद्धता 'पंचामृत' लक्ष्यों में झलकती है, जिनमें 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन में कटौती और हरित विकास की स्पष्ट रूपरेखा शामिल है। पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत ने अपने दायित्वों का पालन करते हुए विकासशील देशों के लिए न्यायपूर्ण नीतिक नेतृत्व क्षमता सामने आई। यह जिम्मेदारी पारंपरिक तक सीमित नहीं रही, संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारत की अग्रणी भूमिका, अफ्रीका से मध्य-पूर्व तक तैनात उसके सैनिकों के माध्यम से, वैश्विक स्थिरता को सुदृढ़ करती



है। यह सब केवल परोपकार नहीं, बल्कि दूरदर्शी रणनीति है, जो भारत को वैश्विक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में सशक्त स्थान दिलाती है।

दुनिया में भारत का बढ़ता प्रभाव आर्थिक मोर्चे पर सबसे स्पष्ट है। 2025 में भारत की जीडीपी लगभग 4.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, जो उसे विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है, तथा 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। यह प्रभाव विदेश नीति के माध्यम से बढ़ा है, जैसे 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारियां। क्वाड — भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रमकता के खिलाफ एक दीवार की तरह खड़ा है। भारत ने यहां न केवल सैन्य अभ्यास किए, बल्कि तकनीकी सहयोग से आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत किया। इसी तरह, ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) में भारत की भूमिका विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूत करती है, जहां न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग हो रही है। लेकिन भारत की नीति अलग हटकर इसलिए है क्योंकि वह किसी एक ब्लॉक में बंधा नहीं, वह 'रणनीतिक स्वायत्तता' का पालन करता है। रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत ने

तटस्थता अपनाई, लेकिन मानवीय सहायता प्रदान की, जिससे उसका प्रभाव दोनों पक्षों में बढ़ा। यह नीति न केवल राष्ट्रीय हितों की रक्षा करती है—जैसे रूस से सस्ता तेल आयात—बल्कि वैश्विक संतुलन बनाए रखती है।

अंतराष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की प्रतिबद्धताएं और भूमिका के खिलाफ एक दीवार की तरह खड़ा है, जो उसे विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है, तथा 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। यह प्रभाव विदेश नीति के माध्यम से बढ़ा है, जैसे 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारियां। क्वाड — भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रमकता के खिलाफ एक दीवार की तरह खड़ा है। भारत ने यहां न केवल सैन्य अभ्यास किए, बल्कि तकनीकी सहयोग से आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत किया। इसी तरह, ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) में भारत की भूमिका विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूत करती है, जहां न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग हो रही है। लेकिन भारत की नीति अलग हटकर इसलिए है क्योंकि वह किसी एक ब्लॉक में बंधा नहीं, वह 'रणनीतिक स्वायत्तता' का पालन करता है। रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत ने

प्रतिक्रिया देता है, बल्कि एजेंडा सेट करता है। हालाँकि, चुनौतियाँ भी कम नहीं। चीन के साथ सीमा विवाद, पाकिस्तान से आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव भारत की नीति को परीक्षा में डालते हैं। लेकिन भारत की प्रतिबद्धता 'पंचमृत' नीति में झलकती है, जहां बांग्लादेश और नेपाल के साथ जल समझौते और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के बाद भी भारत ने मानवीय सहायता जारी रखी, जो उसकी दीर्घकालिक दृष्टि दिखाती है। वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका भी बढ़ी है—आरसीईपी से बाहर रहकर भी इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में शामिल होना। यह नीति आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, उबर और गुगल इन इंडिया वैश्विक निवेश आकर्षित कर रहा है।

2025 तक, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था—यूपीआई की वैश्विक मान्यता—विकासशील देशों के लिए मॉडल बन गई है। लेकिन क्या यह प्रभाव स्थायी है? हाँ, क्योंकि भारत की नीति समावेशी है—महिलाओं की शक्तिकरण से लेकर अफ्रीकी संघ को जी20 में शामिल करना, जो वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को मजबूत करता है।

भारत का बढ़ता प्रभाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि वैश्विक मानसिकता में बदलाव ला रहा है। जहां पश्चिमी शक्तियाँ द्विध्रुवीय दुनिया चाहती हैं, भारत बहुपक्षीयता की वकालत करता है। उसकी प्रतिबद्धताएं—शांति, विकास और न्याय, न केवल राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित हैं, बल्कि पूरी मानवता के लिए हैं। 2025 में, जब विश्व अनिश्चितताओं से घिरा है, भारत की भूमिका एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। यह अलग हटकर इसलिए है क्योंकि भारत न तो अनुयायी है और न ही आक्रामक, वह एक संतुलनकर्ता है, जो अपनी प्राचीन बुद्धिमत्ता से आधुनिक चुनौतियों का सामना करता है। आने वाले वर्षों में, भारत का प्रभाव और बढ़ेगा, और दुनिया इसे न केवल स्वीकार करेगी, बल्कि उससे प्रेरणा लेगी। यह भारत की कहानी है—एक उभरते हुए महाशक्ति की, जो विश्व को एक बेहतर जगह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठानको डिकोड करना: भविष्य की चुनौतियाँ और अतीत की विरासत के संदर्भ में (शिक्षक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में)

परिवहन विशेष न्यूज

प्रस्तावित 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान' विधेयक भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों की संरचना में एक युगांतरकारी बदलाव का संकेत है। यह विधेयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जैसे मौजूदा निकायों को हटाकर एक एकल, व्यापक नियामक प्राधिकरण को स्थापना का प्रस्ताव करता है।

वि बी एस ए विधेयक की एक प्रमुख विशेषता बहुविधयक और समग्र शिक्षा पर इस्का जोर है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का मुख्य विजन रहा है। इस नए ढांचे के तहत, मानक परिषद (विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद), नियामक परिषद (विकसित भारत शिक्षा विधियन परिषद) और प्रत्यायन परिषद (विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद) के बीच समन्वित कामकाज को पारंपरिक अनुशासनात्मक बाधाओं को तोड़ने और विभिन्न क्षेत्रों के बीच वैचारिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

समर्पित से न करते किनारा...!

किस-किस को दिखाओगे बाहर का रास्ता, पहले से ही हो रही पार्टी की हालत खस्ता।

वह 'सत्य की ओर' ही तो कर रहे थे इशारा, समर्पित रहे मो. मुक़ीम से न करते किनारा।

प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया, पार्टी विरोधी गतिविधियों को 'चस्पा' किया।

यह दल आज भी मुश्किल दौर से गुजर रहा, नए नेतृत्व की जरूरत का आगाज कर रहा।

पार्टी प्रमुख नेता के रूप में आवश्यक मेहनत, दौड़-भाग, लोगों से जुड़ाव संभव सब सहमत।

पार्टी में खरगो सलाहकार की भूमिका निभाएं, वह किसी सक्रिय 'युवा नेतृत्व' को आगे लाएं।

(संदर्भ-कांग्रेस ने पूर्व विधायक को निष्कासित किया)

संजय एम तराणेकर



हालाँकि नियामक सरलीकरण और गुणवत्ता आश्वासन के उद्देश्य आकर्षक लगते हैं, लेकिन इस विधेयक ने शैक्षणिक गलियारों में एक गंभीर बहस छेड़ दी है। ये चिंताएँ केवल प्रक्रियात्मक नहीं हैं, बल्कि शिक्षा के दार्शनिक और संरचनात्मक आधार पर प्रहार करती हैं—विशेष रूप से 'शिक्षक शिक्षा' के क्षेत्र में, जो पूरी शिक्षा व्यवस्था की नींव है।

1. भविष्य की चिंताएं: आगे की राह

केंद्रीयकरण बनाम शैक्षणिक संघवाद
वीबीएसए के तहत नियामक शक्ति एक केंद्रीय रूप से नियुक्त निकाय में केंद्रित होगी। शिक्षा 'समवर्ती सूची' का विषय है, जहाँ राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक शिक्षा, जो स्थानीय भाषाओं और क्षेत्रीय संस्कृतियों से गहराई से जुड़ी है, उसे संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता को आवश्यकता होती है। अत्यधिक केंद्रीकरण से क्षेत्रीय जरूरतों की अनदेखी होने का खतरा है।

2. वैधानिक शिक्षक प्रतिनिधित्व का अभाव

इस विधेयक की सबसे विवादास्पद विशेषताओं में से एक इसका शासन ढांचे में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व



की कमी है। पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, मूल्यांकन और शिक्षण नैतिकता जैसे नीतिगत निर्णयों में शिक्षकों के अनुभवजन्य ज्ञान को दरकिनारा करना इसे शैक्षणिक के बजाय केवल प्रशासनिक ढांचा बना सकता है।

3. बाहरी प्रत्यायन और बाजार का तर्क

वि बी एस ए अब एन ए ए सी/एनबीए के दायरे से बाहर जाकर तीसरे पक्ष की एजेंसियों के माध्यम से मान्यता की अनुमति देता है। इससे मान्यता की प्रक्रिया के व्यवसायीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षक शिक्षा संस्थानों के पिछड़ने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि ये संस्थान अक्सर संसाधनों की

कमी से जूझते हैं।

4. **दंडात्मक ढांचा और अनुपालन का तनाव**
विधेयक में भारी जुर्माने और संस्थान बंद कराने जैसे कड़े दंड का प्रावधान है। यह सख्त रवैया संस्थानों के भीतर शैक्षणिक प्रयोगों और नवाचार को हतोत्साहित कर सकता है, जिससे सुधार के बजाय केवल 'डर के माहौल' में कागजी खानापूर्ति बढ़ेगी।

II. अतीत की चिंताएं: विरासत और पहचान का संकट

1. एनसीटीई का विघटन और पेशेवर पहचान का नुकसान

एनसीटीई को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में समाप्त करना शिक्षक शिक्षा की विशिष्ट पहचान को खतरों में डाल सकता है। शिक्षण केवल एक अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रनिर्माण का मिशन है। इसे एक सामान्य निकाय में डालने के तहत लाने से इसकी पेशेवर गरिमा और विशेषज्ञता कम हो सकती है।

2. संस्थागत स्मृति का विघटन

यूजीसी और एनसीटीई जैसे संस्थानों ने दशकों में विशेषज्ञता और अनुभव संचित किया है। उनके अचानक विघटन से नीतिगत निरंतरता में बाधा आ सकती है और मौजूदा संस्थानों के लिए संक्रमण काल अनिश्चितता से भर सकता है।

3. विकास सहायता से निगमानी की ओर

ऐतिहासिक रूप से, नियामक निकायों ने निरीक्षण के साथ-साथ विकास कार्यों (जैसे संकाय विकास और पाठ्यक्रम नवीनीकरण) पर भी ध्यान दिया है। इसके विघटन, वीबीएसए का शुद्ध नियामक-दंडात्मक (रेगुलेटरी-पेनल) प्रवृत्तियों की ओर अधिक है, जो संस्थानों के मनोबल को प्रभावित कर सकता है।

निष्कर्ष: सावधानी और सहमति के साथ

एनसीटीई को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में समाप्त करना शिक्षक शिक्षा की विशिष्ट पहचान को खतरों में डाल सकता है। शिक्षण केवल एक अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रनिर्माण का मिशन है। इसे एक सामान्य निकाय में डालने के तहत लाने से इसकी पेशेवर गरिमा और विशेषज्ञता कम हो सकती है।

2. संस्थागत स्मृति का विघटन

यूजीसी और एनसीटीई जैसे संस्थानों ने दशकों में विशेषज्ञता और अनुभव संचित किया है। उनके अचानक विघटन से नीतिगत निरंतरता में बाधा आ सकती है और मौजूदा संस्थानों के लिए संक्रमण काल अनिश्चितता से भर सकता है।

3. विकास सहायता से निगमानी की ओर

ऐतिहासिक रूप से, नियामक निकायों ने निरीक्षण के साथ-साथ विकास कार्यों (जैसे संकाय विकास और पाठ्यक्रम नवीनीकरण) पर भी ध्यान दिया है। इसके विघटन, वीबीएसए का शुद्ध नियामक-दंडात्मक (रेगुलेटरी-पेनल) प्रवृत्तियों की ओर अधिक है, जो संस्थानों के मनोबल को प्रभावित कर सकता है।

निष्कर्ष: सावधानी और सहमति के साथ

सुधार

वीबीएसए/निसंदेश भारत के उच्च शिक्षा शासन की कल्पना करने का एक साहसिक प्रयास है। फिर भी, यह याद रखना चाहिए कि 'दक्षता' कभी भी 'विवेक' का विकल्प नहीं होनी चाहिए और 'नियंत्रण' कभी 'विश्वास' की जगह नहीं ले सकता।

वीबीएसए की सफलता के लिए, विशेष रूप से शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ सुधार अनिवार्य हैं:

• शासन में शिक्षकों का वैधानिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

• शिक्षक शिक्षा के लिए विशेष शैक्षणिक परिषदों को स्थापना हो।

• नियामक शक्ति और विकासात्मक समर्थन के बीच संतुलन बनाया जाए।

सच्चा शैक्षणिक सुधार केवल नियमों को सख्त बनाने में नहीं, बल्कि उन लोगों को सशक्त बनाने में निहित है जो देश के भविष्य को आकार देते हैं।

डॉ. तपन कुमार साहू

प्रिंसिपल, एस.डी. कॉलेज ऑफ एजुकेशन

बरनाला


"सेफ्टी कमिटी की भूमिका और जिम्मेदारियाँ" पर ट्रेनिंग

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भुवनेश्वर : सरकार राज्य में फैक्ट्रियों में काम करने के सुरक्षित माहौल और वर्कर सेफ्टी को प्राथमिकता दे रही है, इसलिए फैक्ट्रीज और एयर फ़ोर्स डायरेक्टर, स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी से, सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए अलग-अलग सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर रहा है, जिससे हादसों की रोकथाम मजबूत होती है।

इस संबंध में, 12.12.2025 को, स्टेट लेबर इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर, सेफ्टी कमिटी की भूमिका और जिम्मेदारियाँ पर एक स्टेट-लेवल ट्रेनिंग वर्कशॉप इंस्टीट्यूट के कॉन्फ्रेंस हॉल में एल्यूमिनिमियम यूनिट्स के सेफ्टी कमिटी मेंबर्स की मौजूदगी में सफलतापूर्वक पूरी हुई। इस वर्कशॉप का दूसरा फेज 17.12.2025 रिश्क को 41 दूसरे सेफ्टी ऑफिसर्स की मौजूदगी में सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मुख्य मकसद सेफ्टी कमिटियों को मजबूत करना और मेंबर्स की जागरूकता, जिम्मेदारी और अंतरदार एक्शन के जरिए वर्कप्लेस पर सेफ्टी पक्का करना था।

डायरेक्टर, ओपी फैक्ट्रीज एंड एनवायरनमेंट के डायरेक्टर, श्री इंद्रमणि त्रिपाठी (IAS) चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। श्री त्रिपाठी ने अपने कीनोट एड्रेस में कहा कि "सेफ्टी सिर्फ नियमों तक सीमित नहीं है, यह जिम्मेदारी और सहयोग का नतीजा है। कमिटियों की एक्टिव भागीदारी, रेगुलर ट्रेनिंग और जागरूकता से हम



सभी के लिए एक सुरक्षित वर्कप्लेस बना सकते हैं।"

डॉ. मलय कुमार प्रधान, डिप्टी डायरेक्टर (सेफ्टी), डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एंड एनवायरनमेंट भी मॉडिंग में शामिल हुए। श्री प्रधान ने कहा कि "वर्कप्लेस पर सेफ्टी सिर्फ अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है, यह हर कर्मचारी की सामूहिक जिम्मेदारी है। रेगुलर ट्रेनिंग, जागरूकता प्रोग्राम और कमिटियों की एक्टिव भूमिका से हम दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं और एक सुरक्षित, स्वस्थ और प्रोडक्टिव वर्किंग माहौल बना सकते हैं।"

डॉ. किरण कुमार पांडा, EHS कंसल्टेंट, पूर्व

हेड और एडवाइजर, HSE, AM-NS इंडिया, श्री जितेंद्र परिदा, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट (सेफ्टी), जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, अंगुल, श्री देवाशीष पटनायक, AGM (HR) SAIL - रावलकेला स्टील प्लांट, सुंदरगढ़, श्री निहार कांत राउत, EHS कंसल्टेंट, पारादीप फॉर्मेस लिमिटेड, जगदलसिंहपुर के साथ-साथ अलग-अलग डिपार्टमेंट के सदस्यों ने हिस्सा लिया और प्रोग्राम को सफल बनाया। इस प्रोग्राम में ट्रेनिंग से एक सवाल-जवाब सेशन भी रखा। आखिरी शाम को इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग पाए 41 जाने-माने सेफ्टी ऑफिसर्स को सर्टिफिकेट दिए गए।

बीजेडी ने सीएम के दिल्ली आवास पर निशाना साधा

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भुवनेश्वर : BJD ने मुख्यमंत्री के दिल्ली वाले घर को लेकर फिर सवाल उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रवक्ता लेनिन मोहंती ने कहा कि आजादी के बाद से ओडिशा के किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा घर नहीं लिया है। लेकिन अब मुख्यमंत्री के लिए ऐसा इंतजाम क्यों किया जा रहा है? पैसा ओडिशा के खजाने से जा रहा है, जिससे ओडिशा को नुकसान होगा। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में BJD की तरफ से कुछ सवाल पूछे गए थे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नवीन पटनायक पिछले 24 साल से मुख्यमंत्री हैं। जब वे दिल्ली गए तो उन्हें कभी घर की जरूरत नहीं पड़ी।

उन्होंने यह भी दावा किया कि BJD को लगता है कि मुख्यमंत्री के



दिल्ली घर से ओडिशा और ओडिशा के लोगों के खिलाफ कुछ काम किया जाएगा। इसके साथ ही, ओडिशा से पुलिस को एक प्लांट ले जाने का मतलब है कि ओडिशा सरकार को दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। और इस पुलिस के दिल्ली में होने से ओडिशा को नुकसान होगा। BJD का

एक ग्रुप तीन अंकों वाली गली में पावर सेंटर बनाने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री मोहन माड़ी को खुद यह साफ करना चाहिए। BJD को भी इस आरोप का जवाब देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, मुख्यमंत्री खुद जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ पत्रकार सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर BJD के प्रवक्ता बन रहे हैं। यह किस तरह की पत्रकारिता है? मेफेर से हर दिन 100 से ज्यादा मिल आ रही हैं। हर मिल की कीमत 4000 रुपये है। यह लोक सेवा भवन के 400 मीटर के दायरे में इस्तेमाल हो रही है। इतना ही नहीं, जायसवाल नाम का यह आदमी कौन है? अब ओडिशा का सुपर मुख्यमंत्री कौन है? BJD या मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। किसी भी पत्रकार को BJD का प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए।

केरल में स्थानीय निकायों के नतीजों के मायने

वीरेंद्र सिंह परिहार

ग तदिनों केरल के स्थानीय निकायों के चुनावों में जो नतीजे आये हैं, वो चौंकाने वाले हैं। अभी तक केरल का जो राजनीतिक परिदृश्य था, उसमें वहाँ पर वाम मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला संयुक्त मोर्चा ही मुख्य धारा के राजनीतिक दल थे। भाजपा को वहाँ पर एक अलग-थलग रहने वाला दल ही माना जाता था। यद्यपि तत्कालीन चुनाव में केरल से भाजपा ने कन्नूर की एक सीट जीत कर और तिरुवनंतपुरम की लोकसभा सीट कम मतों से हार कर भाजपा ने राजनीतिक जगत में यह सन्देश जरूर दे दिया था कि भाजपा अब केरल की मुख्य धारा का राजनीतिक पार्टी बनने के मुहाने पर खड़ी है लेकिन स्थानीय चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस और वाम मोर्चा के साथ ही भाजपा भी अब केरल में मुख्य धारा की पार्टी है।

जैसा कि सभी को पता है कि तिरुवनंतपुरम में नगर निगम की 101 सीटों में 50 सीटें जीतकर जो करीब करीब बहुमत के पास है, और इसमें कोई दो मत नहीं है निर्दलीय सदस्यों के सहयोग से केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम नगर निगम में कब्जा कर लेगी। प्रदेश में दूसरी जगहों पर भाजपा को उल्लेखनीय सफलता भले न मिली हो पर वोटों का रूझान यह बताता है कि केरल में भी ईसाई मतों को भाजपा की ओर रूझान बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में जब केरल में भाजपा करीब करीब तीसरी राजनीतिक शक्ति बन चुकी है तो यह तथ्य माना जाना चाहिए कि केरल की तरह केरल में भी वाम मोर्चा अप्रासंगिक होने के

कारण पर है। ऐसा इसलिए संभव है कि कांग्रेस की तुलना में नतीजों के चलते मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन उसे मुख्य धारा की राजनीति शक्ति बनाये रखेगा। दूसरी तरफ हिन्दुओं के साथ ईसाई मतदाताओं के एक बड़े वर्ग के समर्थन के चलते यदि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत प्राप्त कर ले तो इससे कोई बहुत बड़ी हैरानी नहीं होनी चाहिए। लोगों की याददाश्त में कहीं-न-कहीं यह होना चाहिए कि त्रिपुरा में जब पहली बार भाजपा सत्ता में आई थी तो उसे 'शून्य से शिखर की यात्रा' ही कहा गया था।

गौर करने की बात यह भारतीय राजनीति में दो मुख्य पार्टियों कांग्रेस और भाजपा को लेकर यू तो कई बुनियादी भिन्नताएँ हैं, पर एक बड़ी बुनियादी भिन्नता यह कि जहाँ कांग्रेस प्रान्त दर प्रान्त क्रमशः सत्ता से बेदखल होती जा रही है, वहीं भाजपा क्रमशः क्रमशः सत्ता में आती जा रही है जिसके चलते कांग्रेस प्रांतिक, तेलंगाना और हिमांचल प्रदेश में सत्ता में है, वहीं भाजपा अधिकांश राज्यों में सत्ता में है। यदि सत्ता में नहीं है तो पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों को छोड़कर या तो विपक्ष में है, या वहाँ पर उसकी मजबूत उपस्थिति है। उदाहरण के लिये तेलंगाना जैसे राज्य को देखा जा सकता है जहाँ भाजपा राज्य में मुख्य विपक्षी दल भले न हो, लेकिन तत्कालीन लोकसभा में चुनाव में 17 में 8 सीटें जीतकर यह बतला चुका है कि तेलंगाना में भी भाजपा सत्ता की दहलीज पर खड़ी है, ठीक वैसे ही जैसे वह बंगाल में सत्ता के दरवाजे पर खड़ी है। यह भी सभी को पता होगा कि 25 वर्ष तक लगातार उड़ीसा की सत्ता में

रहने वाले वर्ष 2024 के चुनाव में भाजपा, बीजद को सत्ता से अपदस्थ कर चुकी है।

विचारणीय प्रश्न यह कि आखिर में ऐसी कौन-सी बड़ी वजह है कि दिनों-दिन पूरे देश में भाजपा का जगहान बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस का जगहान छिंटता जा रहा है। निश्चित रूप से कमोबेश इसका एक बड़ा कारण जहाँ भाजपा एक तरह से परिवारवाद की बीमारी से मुक्त है, वहाँ पर यह बड़ी सच्चाई है कि वर्तमान में देश का मतदाता यह मान चुका है कि कांग्रेस की तुलना में ही नहीं, दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की तुलना में भी भाजपा एक बेहतर पार्टी है। परिवारवाद से मुक्त होने के साथ जहाँ विकास का मापदण्ड है, वह बेहतर नतीजे दे रही है। इसके अलावा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि भाजपा का जहाँ राज है, वहाँ रामराज्य है परन्तु अवश्य कहा जा सकता कि भाजपा का जहाँ राज है, वहाँ रामराज्य है परन्तु अवश्य कहा जा सकता है कि वहाँ सुरासन की दिशा में जग्यास अक्षय दिशाई देता है।

बड़ी बात यह कि भाजपा की चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार, वहाँ घोटाले की सूचना नहीं पड़ती जबकि कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों से शासित राज्यों में कुरासन और घोटाले आम तौर पर सुनने को मिलते रहते हैं। इसके अलावा एक बड़ी बात भाजपा का हिन्दुत्व, भारतीय संस्कृति के प्रति आग्रह और स्व के प्रति जागरण का प्रयास भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नैतिक दबाव के चलते भाजपा एक विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा की पार्टी बन चुकी है। वहीं कारण है कि भाजपा का दिग्गज भी अश्व वीच-बीच में झटके भले खाता हो पर वह सतत आगे बढ़ता जा रहा है।

हांसी: इतिहास के केंद्र से हाशिये तक और फिर जिले की दहलीज पर

हांसी कभी हरियाणा क्षेत्र की राजधानी रही है। जॉर्ज थॉमस के शासनकाल में यह प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र था। मुगल काल में यहाँ टकसाल और सैनिक छावनी स्थापित की गई। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ तीव्र प्रतिरोध के कारण हांसी से जिला दर्जा छीना गया और लगभग 1870-80 के बीच हिसार को जिला बनाया गया। 1966 में हरियाणा गठन के बाद हिसार का कई बार पुनर्गठन हुआ। 2025 में हांसी को पुनः जिला बनाने की घोषणा हुई, जिसे ऐतिहासिक न्याय के रूप में देखा जा रहा है।



डॉ. प्रियंका सौरभ

इतिहास कभी अचानक नहीं बदलता, वह धीरे-धीरे करवट लेता है। हरियाणा की प्राचीन नगरी हांसी इसका जीवंत उदाहरण है। एक समय यह नगर सत्ता, प्रशासन, व्यापार और सामरिक दृष्टि से उत्तरी भारत के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में गिना जाता था। आज वही हांसी, जिसने सदियों तक शासन का भार उठाया, लंबे समय तक प्रशासनिक रूप में झेलने के बाद एक बार फिर जिले के उपाय में अपनी पहचान पाने की ओर अग्रसर हुई है। वर्ष 2025 में हांसी को नया जिला बनाए जाने की घोषणा केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि इतिहास के एक अधूरे अध्याय को पूरा करने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है।

अंग्रेजों के भारत आगमन से बहुत पहले हांसी का गौरव अपने चरम पर था। जॉर्ज थॉमस के दौर में हांसी हरियाणा क्षेत्र की राजधानी के रूप में स्थापित थी। उस समय यह नगर दिल्ली परगना के अधीन उत्तरी भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में शामिल था। हांसी से ही प्रशासनिक आदेश जारी होते थे और आसपास के बड़े भूभाग पर शासन संचालित किया जाता था। यह नगर केवल सत्ता का केंद्र नहीं था, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सैनिक रणनीतियों का भी प्रमुख केंद्र था।

मुगल काल में भी हांसी का महत्व कम नहीं हुआ। अकबर के शासनकाल के ऐतिहासिक दस्तावेजों और नक्शों में हांसी को एक महत्वपूर्ण मुगल केंद्र के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ एक टकसाल स्थापित थी, जहाँ सिक्कों का निर्माण होता था। किसी भी नगर में टकसाल का होना उसकी आर्थिक और प्रशासनिक ताकत का प्रतीक माना जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि हांसी केवल एक कस्बा नहीं, बल्कि उस दौर की अर्थव्यवस्था का अहम स्तंभ था।

हांसी की भौगोलिक स्थिति ने भी इसे सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया था। दिल्ली, पंजाब और राजस्थान की ओर जाने वाले मार्गों पर स्थित होने के कारण यहाँ मुगलों ने सैनिक छावनी स्थापित की। बाद में अंग्रेजों ने भी इसी सामरिक महत्ता को समझते हुए यहाँ

अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखी। हांसी की किलेबंदी, प्रशासनिक ढांचा और सैन्य व्यवस्था इसे उत्तरी भारत के सुरक्षित और संगठित नगरों में शामिल करती थी।

लेकिन इतिहास की दिशा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के साथ बदल गई। हांसी और आसपास के क्षेत्रों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खलकरी विद्रोह किया। यह क्षेत्र उन इलाकों में शामिल था जहाँ अंग्रेजों को सबसे तीव्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय जनता, सैनिकों और जमींदारों ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। यह विद्रोह अंग्रेजों के लिए केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं था, बल्कि उनकी सत्ता के लिए सीधी चुनौती थी।

1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने प्रतिशोध की नीति अपनाई। जिन क्षेत्रों ने सबसे अधिक प्रतिरोध किया, उन्हें प्रशासनिक रूप से कमजोर किया गया। हांसी भी इसी नीति का शिकार बना। भले ही हांसी से जिले का दर्जा छीना जाने की कोई सटीक और प्रामाणिक तारीख उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि 1870 से 1880 के बीच अंग्रेजों ने हांसी से जिला मुख्यालय हटाकर हिसार को नया जिला बना दिया। इसके साथ ही हांसी का प्रशासनिक महत्व लगभग समाप्त कर दिया गया।

हिसार को जिला बनाकर अंग्रेजों ने न केवल प्रशासनिक ढांचा बदला, बल्कि हांसी की ऐतिहासिक भूमिका को भी हाशिये पर डाल दिया। फतेहाबाद, सिरसा जैसे इलाकों पर हिसार से शासन चलाया जाने लगा। यह बदलाव केवल सुविधा के नाम पर नहीं था, बल्कि एक ऐसे क्षेत्र को नियंत्रित करने की रणनीति थी, जिसने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह का साहस दिखाया था।

इतिहासकार यह भी बताते हैं कि 1700 ईस्वी के आसपास हरियाणा, पंजाब से अलग एक विशिष्ट भू-राजनीतिक पहचान के साथ नक्शों में मौजूद था। उस दौर के कई नक्शे आज भी उपलब्ध हैं, जिनमें हांसी को हरियाणा की राजधानी के रूप में दर्शाया गया है। जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपना प्रमुख केंद्र बनाकर पूरे इलाके पर शासन किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि हांसी का महत्व किसी एक शासक या काल तक

सीमित नहीं था, बल्कि यह लंबे समय तक सत्ता का केंद्र रहा।

स्वतंत्रता के बाद 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ, तब हिसार प्रदेश का सबसे बड़ा जिला था। उस समय हांसी एक बार फिर उम्मीद कर रहा था कि उसे उसका ऐतिहासिक दर्जा वापस मिलेगा। लेकिन प्रशासनिक प्राथमिकताओं और राजनीतिक संतुलनों के चलते ऐसा नहीं हो सका। इसके बजाय हिसार जिले का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया। 1972 में भिवानी को अलग जिला बनाया गया। इसके बाद 1975 में सिरसा और 1997 में फतेहाबाद को जिला का दर्जा मिला। 2016 में भिवानी से अलग होकर चरखी दादरी नया जिला बना। इन सभी विभाजनों ने हिसार के प्रशासनिक नक्शे को लगातार बदला और छोटा किया, लेकिन हांसी हर बार जिले की सूची से बाहर रह गया।

इस उपेक्षा ने धीरे-धीरे हांसी में असंतोष को जन्म दिया। लोगों को लगने लगा कि यह केवल प्रशासनिक अनदेखी नहीं, बल्कि ऐतिहासिक अन्याय का विस्तार है। पिछले लगभग दस वर्षों से हांसी को जिला बनाने की मांग ने जोर पकड़ना शुरू किया। स्थानीय सामाजिक संगठनों, व्यापार मंडलों और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को लगातार उठाया। यह मांग धीरे-धीरे एक जन आंदोलन का रूप लेने लगी।

हांसी के लोग यह तर्क देते रहे कि यह नगर ऐतिहासिक, भौगोलिक और प्रशासनिक—तीनों दृष्टियों से जिला बनने की सभी शर्तें पूरी करता है। यहाँ पहले से ही कई प्रशासनिक कार्यालय मौजूद हैं। आसपास के क्षेत्रों की दूरी और जनसंख्या दबाव को देखते हुए भी जिला बनना तर्कसंगत माना गया। लेकिन इन सभी दलीलों से ऊपर एक भावनात्मक पहलू भी था—हांसी को उसका खोया हुआ सम्मान लौटाने की आकांक्षा।

2025 में जब हांसी को नया जिला बनाए जाने की घोषणा हुई, तो इसे केवल एक प्रशासनिक खबर के रूप में नहीं देखा गया। यह घोषणा हांसी के इतिहास, संघर्ष और प्रतीक्षा की परिणति माना गई। लोगों ने इसे उस अन्याय के

आंशिक सुधार के रूप में देखा, जो 1857 के बाद अंग्रेजों ने किया था और जिसे स्वतंत्र भारत में लंबे समय तक अनदेखा किया गया।

हांसी का जिला बनना प्रशासनिक विकेंद्रिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल स्थानीय लोगों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होने की संभावना है। इसके साथ ही यह निर्णय क्षेत्रीय संतुलन को भी मजबूत करेगा। इतिहास गवाह है कि जिन नगरों को सत्ता के केंद्र से हटाया गया, वे केवल भौगोलिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी हाशिये पर चले जाते हैं। हांसी भी लंबे समय तक इसी स्थिति से गुजरा। लेकिन अब जिला बनने के साथ ही यह नगर एक बार फिर केंद्र में लौटने की तैयारी कर रहा है।

हांसी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इतिहास केवल किताबों में दर्ज घटनाओं का संग्रह नहीं होता, बल्कि वह वर्तमान की नीतियों और फैसलों को भी प्रभावित करता है। हांसी को जिला बनाना इस बात का प्रमाण है कि इतिहास चाहे देर से ही सही, लेकिन अपना सती न्यायपूर्ण दिशा जरूर खोज लेता है।

आज जब हांसी जिले की दहलीज पर खड़ा है, तो यह केवल एक प्रशासनिक इकाई का विस्तार नहीं, बल्कि उस नगर की आत्मा की पुनर्स्थापना है, जिसने कभी हरियाणा को राजधानी दी थी, जिसने सत्ता को चुनौती दी थी और जिसने लंबे समय तक उपेक्षा सहकर भी अपनी पहचान नहीं खोई। हांसी का यह नया अध्याय इतिहास के उसी पुराने गौरव से जुड़ता है, जहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई थी।

हांसी एक नजर में
प्राचीन पहचान : जॉर्ज थॉमस के शासनकाल में हरियाणा क्षेत्र की राजधानी मुगल काल : अकबर के समय प्रमुख प्रशासनिक केंद्र, यहां टकसाल स्थापित सामरिक महत्व : मुगल और अंग्रेजी दौर में सैनिक छावनी

1857 का विद्रोह : अंग्रेजों के खिलाफ

फैसले ऐसे लिखें जो आम जनता समझ सके' सीजेआई ने कानूनी भाषा को सरल बनाने की दी सलाह

परिवहन विशेष न्यून

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सिर्फ भाषा ही नहीं, फैसलों में भी स्पष्टता होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि एक जैसे कानूनी सर्वालों वाले मामलों को एक साथ रखा जाए, ताकि फैसले समान हों।

सीजेआई सूर्यकांत ने न्यायपालिका से कहा है कि वह जरूरत से ज्यादा कठिन कानूनी भाषा का इस्तेमाल कम करे, क्योंकि इससे आम लोगों और न्याय के बीच दूरी बनती है। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले साफ और आसान भाषा में लिखे जाने चाहिए, ताकि लोग उन्हें समझ सकें। वह शनिवार को वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर न्याय साफ और समझने योग्य न हो, तो जिन लोगों के लिए वह है, उनके लिए उसका महत्व खत्म हो सकता है। उन्होंने बताया कि अदालत के फैसले सिर्फ अकादमिक चर्चा नहीं होते, बल्कि वे लोगों के अधिकार और जिम्मेदारियाँ तय करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब फैसलों की भाषा और ढांचा बहुत अलग-अलग होता है, तो आम लोगों के लिए उनका मतलब समझना



मुश्किल हो जाता है।

जटिल कानूनी भाषा से होने वाली प्रेशानी को समझते हुए सीजेआई ने उन लोगों की हालत बताई, जिन्हें केस जीतने के बाद भी यह समझ नहीं आ पाया कि उन्हें असल में क्या राहत मिली है। उन्होंने कहा कि यह भ्रम इसलिए हुआ क्योंकि आदेशों में इस्तेमाल की गई भाषा बहुत ज्यादा तकनीकी, अस्पष्ट और घुमावदार थी, जिसे समझना आम लोगों के लिए लघग था नामुमकिन था

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायिक

लेखन में एकरूपता का मतलब है कि फैसले साफ, समझने में आसान और भरोसेमंद हों। उन्होंने बताया कि इसके लिए ऐसा तरीका अपनाया जाए जिसमें कम शब्दों में स्पष्ट तर्कों और आदेश से जुड़े जरूरी निर्देश साफ-साफ लिखे हों।

“एकीकृत न्यायिक नीति” की बात करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तकनीक का असली फायदा इसकी जटिलता में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आम आदमी आसानी से समझ सके कि उसके मामले का फैसला क्या हुआ और वह न्यायपूर्ण है। उन्होंने बताया कि नए उपकरण अब ऐसे काम कर सकते हैं जो न्याय को समझने में मदद करें, जैसे फैसलों को आसान भाषा में लिखना और उन्हें अलग-अलग भाषाओं में तुरंत अनुवाद करना, ताकि ज्यादा लोग उन्हें समझ सकें।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सिर्फ भाषा ही नहीं, फैसलों में भी स्पष्टता होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि एक जैसे कानूनी सर्वालों वाले मामलों को एक साथ रखा जाए, ताकि फैसले समान हों। उन्होंने एक पुराने मामले का उदाहरण दिया, जिसमें

उच्च न्यायालय की तीन अलग-अलग पीठों ने भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समान अपीलों में अलग-अलग निर्णय दिए थे, जिससे याचिकाकर्ताओं को अपने अधिकारों को लेकर भ्रम हुआ।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका को जिम्मेदार होना चाहिए। उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने एक आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि जमानत, बंदी, बेदखली और विध्वंस जैसे तुरंत निर्णय वाले मामलों को खामियां दूर होने के दो दिन के अंदर ही सूचीबद्ध किया जाए। उन्होंने कहा कि इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि तात्कालिक फैसले केवल मौके पर निर्णय लेने की बजाय व्यवस्थित तरीके से लिए जाएं।

अपने भाषण के अंत में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तकनीक सिर्फ एक साधन है, लेकिन तरीका हमेशा मानवीय होना चाहिए। उनका उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली बनाना है जहां “कानून का शासन” सिर्फ शब्द न होकर आम लोगों के लिए सचमुच अनुभव की जा सकने वाली चीज हो।

ओड़िया स्वाभिमान पुरुष मयूरभंज महाराजा श्री राम चंद्र भंजदेव, जिस माटी से है भारत की महामहिम राष्ट्रपति

1947 मयूरभंज रियासत भारत में विलय नहीं हो पाया। तब सरायकेला, खरसावां ओडिशा से निकाल कर केवल 17वर्ष के लिए बिहार में रखा गया। जिसे आज तक लौटाया नहीं जा सका !!


कार्तिक कुमार परिच्छा, स्तंभकार

उत्कल माता के अनेकों सपूतों में से एक थे मयूरभंज के महाराजा श्री राम चंद्र भंज देव। जिनके रियासत जमीन से आज की महामहिम राष्ट्रपति, भारत - श्रीमती द्रोपदी मूर्मु आती हैं। संयोग से आज 17 दिसंबर महाराजा का जन्मदिन है, उधर महज दोपहर दिन बाद महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मूर्मु सरायकेला खरसावां जिले में पहुंच रही है जो राजनीतिक षड्यंत्र के कारण अब बिहार के बाद झारखंड का हिस्सा है। मयूरभंज आज भी ओडिशा का सर्वाधिक बड़ा जिला है। कभी झारखंड का सरायकेला जिला भी उसी मयूरभंज का हिस्सा रहा। जिसका ओडिया पट्टा में नाम कुचुंग पीठ आज भी दर्ज है। यह मां किचकेशवरी का प्रदेश रहा है।

महाराजा श्रीरामचंद्र भंज जिन्होंने पूरा जीवन अपने राज्य मयूरभंज और पूरे उत्कल देश की सेवा में समर्पित की थी। उनकी उपलब्धियाँ और वीरता आज भी लाखों ओड़िया, गैर ओड़िया लोगों के दिलों में बसी हैं।

ओड़िया भाषा के प्रति उनके सामूहिक और सार्वभौमिक प्रेम ने तत्कालीन अलगाववादी ओड़िया समुदाय को एक भाषा के धागे में पिरो दिया फिर उन्होंने स्वतंत्र ओडिशा प्रांत के गठन में अपना पूरा योगदान दिया।

हा, यह अपवाद है आजादी के बाद ऐन केन प्रकारेण भले ही ओडिशा में शामिल हुए सरायकेला, खरसावां दो देशी रियासतों को उसी मयूरभंज जिले के स्वतंत्र भारत वर्ष में विलय न हो पाने के कारण एक वर्ष के लिए बिहार में रखा गया। पर बड़ी ही चालाकी से आजतक उसे बिहार सरकार ने ओडिशा को नहीं लौटाया है। आज भी झारखंड में यह ओड़िया भाषी जिला कैसे रखा गया है बड़ा ही विचित्र राजनीतिक घटना है। भाषा-संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक मसले पर शोषण बदस्तूर जारी है जिसे राजनीतिक षड्यंत्र कहा जा सकता है। सरायकेला खरसावां ओडिशा ओड़िया इलाका आज एक गैर ओडिशा भाषी राज्य में रखा जाना श्री रामचंद्र भंज का घोर अपमान कहा जाय तो यह कोई अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग नहीं कहलायेगा, जिस माटी की स्वयं महामहिम राष्ट्रपति।



केवल मयूरभंज ही नहीं नये ओडिशा के निर्माता के रूप में उनकी ख्याति स्वर्णिम अतीत अटा पड़ा है। इन सबसे बढ़कर, महाराजा श्रीरामचंद्र भंजदेव जैसे महान देशभक्त, भाषा प्रेमी और गुणी व्यक्ति इतिहास में मिलना दुर्लभ है। उनका जन्म आज ही के दिन 17 दिसंबर को हुआ था। बचपन में अवचा से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, युवा महाराजा श्रीरामचंद्र को आगे की शिक्षा के लिए कटक भेजा गया। बाराबती किले के पश्चिमी घाट के पास स्थित एक बंगला, जिसे नरसिंहपुर बंगला के नाम से जाना जाता है वहीं पढ़ाई की। फिर उन्होंने कटक के रेवेनशा कॉलेजिएट स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। बाद में, उन्होंने रेवेनशा कॉलेज से एफ.ए. और बी.ए. की उपाधि प्राप्त की और अपने राज्य मयूरभंज लौट आए।

इसी क्रम में, उन्होंने 15 अगस्त, 1892 से मयूरभंज राज्य का प्रशासन भार संभाला (महाराजा के रूप में अपने राज्य के सुशासन के लिए एक परिषद का गठन किया और सदस्यों की सलाह पर, पिछली प्रशासनिक व्यवस्था में कई सुधार किए। देश की खानों से विभिन्न धातुओं और पत्थरों के निकलवाकर राज्य की आय में वृद्धि की गई। महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव न केवल मयूरभंज, बल्कि पूरे उत्कल क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। इसलिए ओड़िया लोगों ने उन्हें उत्कल सम्मेलन का पहला अध्यक्ष चुना।

कहा जाता है कि एक बार महाराजा जब विदेश दौरे से लौटने तब कलकत्ता में बंगाली बुद्धिजीवियों ने उनका बय स्वागत किया। स्वागत के जवाब में, सभी को उम्मीद थी कि

महाराजा अंग्रेजी या बंगाली में जवाब देंगे। लेकिन गहरे अपनी राष्ट्रवाद से ओतप्रोत महाराजा ने शुद्ध उड़िया में भाषण देकर सभी को मंत्रमुग्ध और आश्चर्यचकित कर दिया। युवावस्था में महाराजा ने ब्रह्म धर्म प्रचारक केशव सेन की सुंदरी पुत्री सुसिरा देवी से विवाह करने का निर्णय लिया। चूंकि महाराजा के संरक्षकों ने इसका विरोध किया, इसलिए श्री रामचंद्र ने जनता की राय जानते हुए इसे अस्वीकार कर दिया।। वे स्वयं को एक संवैधानिक राजा मानते थे। इससे जुड़ी अनेक रोचक कहानी हैं।

महाराजा अक्सर ट्रेन, विदेश जाने के टिकट आदि की व्यवस्था स्वयं के पैसे से किया करते थे। महाराजा श्रीरामचंद्र उत्कल मणि ने पंडित गोपबन्धु दास को अपने राज्य का वकील नियुक्त किया था। उत्कलमणि गोपबन्धु कुछ वर्षों तक मयूरभंज में रहे। जिस घर में वे रहते थे, वह आज भी बारीपदा में गोपबन्धु भवन के नाम से जाना जाता है। राजा को ओड़िया भाषा और साहित्य से अपार प्रेम था। उनके संरक्षण में बारीपदा से 'उत्कलप्रभा' और 'मनोरमा' नामक दो साहित्यिक पत्रिकाएँ प्रकाशित हुईं। दरअसल, उस समय 'उत्कलप्रभा' लेखकों को पुरस्कार देने वाली पहली ओड़िया पत्रिका थी।

इसमें महान कवि लेखक राधानाथ, फकीरमोहन, मधुसूदन राव आदि जैसे महान लेखकों की रचनाएँ प्रकाशित हुईं। श्रीरामचंद्र ने ओडिशा में स्वास्थ्य सेवा और प्रशासनिक क्षेत्रों में बहुत प्रगति की। इसके अलावा भंज वंश द्वारा कुलजनापूर्वक दान की गईं संपत्तियाँ ओडिशा में कई संस्थानों का निर्माण किया गया है।



जिनका लाभ अब ओडिशा का प्रत्येक निवासी उठा रहे है।

उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक धन खर्च किया। ओडिशा को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महाराजा का योगदान अतुलनीय माना जाता है। उन्होंने ओडिशा भाषा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वास्तव में, वे मानवता, उदारता, सर्वोच्च आदर्शों और विद्वता के अद्वितीय उदाहरण थे।

उन्होंने ओडिशा के आत्मसम्मान के लिए जीवन भर संघर्ष किया। वे स्वतंत्र उत्कल राज्य के वास्तविक विश्व नेता थे। 1903 में कटक में उत्कल सम्मेलन अधिवेशन आयोजित हुआ। उत्कल के गौरव मधुसूदन दास के प्रति उनके मन में काफी सम्मान था। उनके अनुरोध का समर्थन करते हुए, महाराजा श्रीरामचंद्र भंज ने उत्कल सम्मेलन के प्रथम सत्र के अध्यक्ष बने और उन्होंने एक प्रभावशाली भाषण दिया।

महाराजा श्रीरामचंद्र अपनी मातृभूमि ओडिशा से इतना प्रेम करते थे कि वह उनके उस समय के व्यवहार से स्पष्ट होता है। आज हम जानते हैं कि कटक में स्थित श्री रामचंद्र भंजा मेडिकल कॉलेज या एससीबी मेडिकल कॉलेज, ओडिशा और पूरे पूर्वी भारत के सबसे पुराने और अग्रणी मेडिकल कॉलेजों में से एक है। मयूरभंज के महाराजा श्री रामचंद्र भंज के प्रयासों और आर्थिक सहयोग से स्थापित इस महाविद्यालय का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है।

महाराजा श्री रामचंद्र भंज एक देशभक्त और राष्ट्रवादी व्यक्तित्व थे। ओडिशा राष्ट्र के उत्थान के लिए उनके अनेक प्रयास अविस्मरणीय हैं। ओडिशा के कई जन कल्याणकारी संस्थान उनके अर्थिक योगदान से ही सुस्थापित हुए हैं और उनकी पवित्र स्मृति में गौरवान्वित हैं।

22 फरवरी, 1912 को कम उम्र में ही उनका निधन हो गया, जिससे उनके अथक प्रयास से उनके माता उत्कल का नाम रोशन हुआ। वे जन कल्याण के लिए जीवन भर समर्पित रहे। महाराजा जिन्होंने विलासिता को त्यागकर जन कल्याण में अपना जीवन व्यतीत किया, आज भी स्मृति में शेष हैं।

अमनदीप अस्पताल ने उजाला सिगनस के साथ साझेदारी में उत्तर भारत की पहली 3डी प्रिंटिंग और वर्चुअल रियलिटी तकनीक का शुभारंभ किया

अमृतसर (साहिल बेरी)

अमनदीप अस्पताल ने उजाला सिगनस के सहयोग से उत्तर भारत में अस्पताल-आधारित 3डी प्रिंटिंग और वर्चुअल रियलिटी तकनीक का पहला शुभारंभ किया है। यह मरीजों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है और चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। यह नई सुविधा अमृतसर के आसपास के क्षेत्रों में अत्याधुनिक शल्य चिकित्सा योजना और अनुकूलित उपचार समाधान प्रदान करने में बहुत उपयोगी साबित होगी। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉ. अभिजात शेट ने अमनदीप उजाला अस्पताल में 3डी प्रिंटिंग और वर्चुअल रियलिटी तकनीक का उद्घाटन किया, जो चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उनकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम ने स्वास्थ्य सेवा वितरण में क्रांति लाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉ. अभिजात शेट ने अमनदीप उजाला अस्पताल में 3डी प्रिंटिंग और वर्चुअल रियलिटी तकनीक का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह गतिविधि आधुनिक शल्य चिकित्सा योजना और आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायक सिद्ध होगा।

इस पहल के साथ, अमनदीप उजाला अस्पताल देश के उन चुनिंदा अस्पतालों में से एक होगा जो नैदानिक अभ्यास को 3डी प्रिंटिंग और वर्चुअल



रियलिटी तकनीक के साथ सीधे एकीकृत कर सकता है।

यह अनुसंधान एवं विकास सर्जनों को सबसे उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाले शारीरिक मॉडल, सटीक रोगी सलाह और जटिल अस्थिचिकित्सा के लिए अनुकूलित प्रत्यारोपण प्रदान करने में मदद करेगा।

यह रीढ़ की हड्डी में लगी चोटों की मरम्मत करेगा, जोड़ों को सही स्थिति में लाएगा, विकृतियों को ठीक करेगा और 3डी प्रिंटिड इम्प्लांट्स लगाएगा।

इससे कम समय में अधिक रोगियों के लिए बेहतर उपचार, सटीक संरेखण और देखभाल संभव हो सकेगा। इस अवसर पर, अमनदीप उजाला अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग के अध्यक्ष डॉ. अवतार सिंह ने कहा कि यह बड़ा कदम छोटे से बड़े की ओर एक कदम है।

सर्जरी के क्षेत्र में किए गए अपने वादे को पूरा करने की दिशा में यह एक शानदार पहल है। इसके लागू होने से अब हम सबसे जटिल मामलों को भी खूबसूरती और कुशलता से संभाल सकेंगे। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉ. अभिजात शेट के अनुसार, आज के

संदर्भ में अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में 3डी प्रिंटिंग तकनीक एक विशेष कदम है, जिससे स्वास्थ्य सेवा में सुधार होगा।

इस पहल से शल्य चिकित्सा गतिविधियों में निश्चित रूप से सुधार होगा।

यह लॉन्च अमनदीप हॉस्पिटल्स और उजाला सिगनस के बीच उत्तर भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में उन्नत प्रौद्योगिकियों को लाने के दीर्घकालिक सहयोगात्मक दृष्टिकोण का हिस्सा है। इस पहल के साथ, अमनदीप उजाला अस्पताल रोबोटिक्स, एआई-संचालित निदान, उन्नत ऑर्थोपेडिक और ट्रॉमा देखभाल के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी अस्पताल बन जाएगा। हमें अत्यंत गर्व है कि अमनदीप ग्रुप 750 बिस्तारों वाले अस्पताल और 170 डॉक्टरों की टीम के साथ नई कंचाइयों को छू रहा है। यह अस्पताल छह स्थानों पर बहुत अच्छी तरह से कार्यरत है, जिनमें से दो अमृतसर में, एक पटानकोट में, एक श्रीनगर में और एक तरनतारन में स्थित है। इससे भी अधिक गर्व की बात यह है कि इस समूह ने पिछले वर्षों में 25 लाख से अधिक लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करके एक बड़ा नाम कमाया है।

नगर निगम द्वारा जी.आई.एस सर्वे के नाम पर कोई फीस नहीं ली जा रही

लोगों से सर्वे के नाम पर पैसे मांगने को लेकर निगम कमिश्नर ने किया आगाह

अमृतसर, 17 दिसंबर (साहिल बेरी)

नगर निगम अमृतसर द्वारा शहर के अंतर्गत आने वाली प्रापटीयों (घरों, कमर्शियल और रिहाईशी ईमारतों, दुकानों, फैक्ट्रियों आदि) की डीजिटल मैपिंग के लिए करवाए जा रहे जी.आई.सी सर्वे को लेकर लोगों से पैसे मांगने को लेकर निगम कमिश्नर ने लोगों को आगाह किया है। इसके मधुसूदन दास के प्रति उनके मन में काफी सम्मान था। उनके अनुरोध का समर्थन करते हुए, महाराजा श्रीरामचंद्र भंज ने उत्कल सम्मेलन के प्रथम सत्र के अध्यक्ष बने और उन्होंने एक प्रभावशाली भाषण दिया।

महाराजा श्रीरामचंद्र अपनी मातृभूमि ओडिशा से इतना प्रेम करते थे कि वह उनके उस समय के व्यवहार से स्पष्ट होता है। आज हम जानते हैं कि कटक में स्थित श्री रामचंद्र भंजा मेडिकल कॉलेज या एससीबी मेडिकल कॉलेज, ओडिशा और पूरे पूर्वी भारत के सबसे पुराने और अग्रणी मेडिकल कॉलेजों में से एक है। मयूरभंज के महाराजा श्री रामचंद्र भंज के प्रयासों और आर्थिक सहयोग से स्थापित इस महाविद्यालय का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है।

महाराजा श्री रामचंद्र भंज एक देशभक्त और राष्ट्रवादी व्यक्तित्व थे। ओडिशा राष्ट्र के उत्थान के लिए उनके अनेक प्रयास अविस्मरणीय हैं। ओडिशा के कई जन कल्याणकारी संस्थान उनके अर्थिक योगदान से ही सुस्थापित हुए हैं और उनकी पवित्र स्मृति में गौरवान्वित हैं।

22 फरवरी, 1912 को कम उम्र में ही उनका निधन हो गया, जिससे उनके अथक प्रयास से उनके माता उत्कल का नाम रोशन हुआ। वे जन कल्याण के लिए जीवन भर समर्पित रहे। महाराजा जिन्होंने विलासिता को त्यागकर जन कल्याण में अपना जीवन व्यतीत किया, आज भी स्मृति में शेष हैं।



के अलावा किसी और कंपनी या संस्था को जी.आई.एस सर्वे के लिए नहीं रखा गया है और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा ही घर-घर जाकर बिना किसी पैसे के यह सर्वे किया जा रहा है। शहरवासियों शहर की लगभग चार लाख प्रापटीयों की डीजिटल मैपिंग के लिए साईबर स्विफ्ट कंपनी को ठेका दिया गया है। जिसको लेकर उनके ध्यान में आया है कि कुछ लोग जी.आई.एस सर्वे के नाम पर धड़ले से घरों से सौ-सौ रूपों की वसूली कर रहे हैं। जो की सरासर गलत है। निगम द्वारा साईबर स्विफ्ट कंपनी

जी.आई.एस सर्वे किया जा रहा है और अगले 10-15 दिनों में टीमों द्वारा वॉर्ड नंबर 7, 32, 69, 71 में सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग सर्वे के लिए आने वाली टीमों को पूरा सहयोग करें और सही जानकारी दें। क्योंकि डीजिटल मैपिंग से नगर निगम के लिए शहर के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने, बेहतर टारुन प्लानिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने के साथ-साथ आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने में सुविधा होगी।

हेल्थ डिपार्टमेंट ने लंगज केयर फाउंडेशन के साथ मिलकर एक दिन की ट्रेनिंग वर्कशॉप का किया आयोजन



सर्दियों के मौसम में सांस की बीमारियों से बचने के लिए बुजुर्गों और छोटे बच्चों का खास खयाल रखें: डॉ. राजिंदर पाल कौर

अमृतसर, 17 दिसंबर (साहिल बेरी)

पंजाब सरकार के आदेश के मुताबिक, सिविल सर्जन डॉ. सतिंदरजीत सिंह बजाज की गाइडेंस में, अस्पष्ट सिविल सर्जन डॉ. राजिंदर पाल कौर की लीडरशिप में लंग केयर फाउंडेशन की तरफ से एक खास ट्रेनिंग का आयोजन किया गया जिसमें स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉ. सोनाली वोहरा, डॉ. शिवानी सूद और डॉ. राहुल अरोड़ा ने जिले के सभी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को सांस और फेफड़ों की बीमारियों से बचाव और इलाज की ट्रेनिंग दी। इस मौके पर

अस्पष्ट सिविल सर्जन डॉ. राजिंदर पाल कौर ने कहा कि सर्दियों के मौसम में सांस और फेफड़ों की बीमारियों से बचने के लिए बुजुर्गों और छोटे बच्चों का खास खयाल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदूषित हवा नेशनल हेल्थ इमरजेंसी बनती जा रही है, जो जान के लिए जानलेवा साबित हो रही है। फैक्ट्रियों, मोटर गाड़ियों, फ्यूल और पराली जलाने से एनवायरनमेंट प्रदूषित हो रहा है। वायु प्रदूषण में कई हानिकारक गैसें पैदा होती हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया आदि शामिल हैं। खतरनाक गैसें वायुमंडल में फैल रही हैं, जिससे पैरामेडिकल स्टाफ को सांस और फेफड़ों की बीमारियों से बचाव और इलाज की ट्रेनिंग दी। इस मौके पर

पंजाब में पराली जलाना एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन रही है। इन हानिकारक गैसों का बुरा असर गर्भवती माताओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसीलिए लंग्स केयर फाउंडेशन ने भारत में करीब 2.8 मिलियन फेफड़ों को बचाने में मदद करने का लक्ष्य रखा है। इस संबंध में अमृतसर जिले में मेडिकल अधिकारियों को ट्रेनिंग देकर उन्हें पहले ही मास्टर ट्रेनर बना दिया गया है। ये मास्टर ट्रेनर आगे बढ़कर अपने-अपने ब्लॉक में आम जनता और खासकर पैरामेडिकल स्टाफ को जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान सीनियर मेडिकल अधिकारी डॉ. भारती धवन, जिला एमई आई ओ अमरदीप सिंह और सभी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद थे।

अवैध मादक पदार्थ व्यापार में जमशेदपुर का एक ओपी प्रभारी निलंबित

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

जमशेदपुर। जमशेदपुर के उलीडीह ओपी प्रभारी दीपक कुमार ठाकुर को गंभीर अनियमितता और कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। उनके स्थान पर मोहम्मद शारिक अली को उलीडीह ओपी का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह कार्रवाई एएसएपी पीयूष पांडेय के निर्देश पर की गई है। निलंबन के साथ ही प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।

मामले की शुरुआत उस समय हुई जब सिटी एसपी को सूचना मिली कि उलीडीह ओपी प्रभारी द्वारा अवैध मादक पदार्थ

कारोबार में संलिप्त कुछ युवकों को संदिग्ध परिस्थितियों में बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के छोड़ दिया गया है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सिटी एसपी कुमार शिवाशेष को सौंपी गई थी।

जांच में सामने आया कि 10 दिसंबर की रात करीब 8 बजे अवैध गांजा खरीद-बिक्री के आरोप में चार युवकों को कई पुडियां गांजा के साथ हिरासत में लेकर थाना लाया गया था। इनमें अमन सिंह और संतोष ठाकुर शामिल थे। जांच में यह पाया गया कि दोनों युवकों को न तो प्राथमिकी दर्ज किए बिना और न ही किसी वरीय पदाधिकारी को सूचना



दिए बिना ओपी से छोड़ दिया गया, जो पुलिस की निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इतना ही नहीं, 11 दिसंबर को साधु मुंडा

नामक एक अन्य संदिग्ध को भी अवैध मादक पदार्थ से जुड़े संदेह में हिरासत में लिया गया था, लेकिन उसे भी बिना किसी कानूनी कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज किए छोड़ दिया गया। जांच रिपोर्ट में इन सभी मामलों में ओपी प्रभारी की भूमिका को संदिग्ध बताया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर एएसएपी पीयूष पांडेय ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए दीपक कुमार ठाकुर को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है तथा विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध मादक पदार्थ के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।